अनुक्रमणिका

अ

अवसर

प्रतिरक्षा का.....1677

प्रतिवाद करने का.....1993

अवसान होना

विनिर्दिष्ट काल का.....1925

अवज्ञा

व्यादेश की.....1782

निषेधाज्ञा की.....1758

न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र की.....1403

अवज्ञा करना

व्यादेश की डिक्री की.....1381

अवधि

शोध अक्षमता (दिवालियापन) प्रमाणपत्र की कार्यवाही एवं परिसीमा.....1910

इस धारा के अन्तर्गत मर्यादा की.....2031

की गणना जिस दिन प्रारम्भ होती है, उस दिन निर्योग्यता होनी चाहिए.....2021

अवधारण

विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का...1457

न्यायालय की अधिकारिता का.....1187

परिसीमा के वर्णन के प्रश्न का.....2039

अवयस्क

के हितों की संरक्षा.....1620

की ओर से वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक को डिक्री के अधीन सम्पत्ति की प्राप्ति.....1610

के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो.....1606

के विरुद्ध डिक्री.....1601

वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्या..1612

द्वारा वाद लाएगा.....1604

अवयस्क सहवादी

वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है.....1613

अवयस्क प्रतिवादी

के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति.....1604

अवयस्कता

के कारण जानकारी न होना माना जाये.....2023

अन्तिम डिक्री

आवेदन पत्र, निष्पादन आवेदन पत्र नहीं है.....1259

विक्रय के वाद में.....1646

विभाजन की.....1271

पुरोबन्ध वाद में.....1644

मोचन के वाद में.....1648

विभाजन के लिए.....1656

अस्वीकृत किया जाना

वाद का.....1625

असंयोजन

आवश्यक पक्षकार का.....1656

असफल रहना

विवाद्यक को विरचित करने में.....1185

असफलता

कब्जा प्राप्त करने में.....1396

साक्ष्य पेश करने में.....1195

प्रस्तुतीकरण में.....1161

अस्थायी व्यादेश
में हस्तक्षेप.....1740
अस्थायी निषेधाज्ञा
को चुनौती.....1885
अहस्ताक्षरित निर्णय
को हस्ताक्षरित करने का कर्तव्य 1263
अग्राही
दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना.....1155
अप्राप्तवय
की ओर से संरक्षक द्वारा वाद का समझौता---की वैधता 1617
के विरुद्ध निष्पादन.....1616
द्वारा या उसके विरुद्ध वाद का संस्थित किया जाना.....1616
अचल सम्पत्ति
हेतु वाद.....2032
पर अधिकार एवं अग्रिम धनराशि.....1287
अंश
परक्राम्य लिखतें और निगमों के.....1342
अंगूठे के निशान
की तुलना.....1584
अंतरिम व्यादेश
कार्यवाही चला देना 1782
अजनबी
के लिए उपचार.....1396
अतिसंदाय
डिक्री जहां कुछ भी शोध्य नहीं पाया जाए या जहां बंधकदार को.....1649
अतिरिक्त साक्ष्य
प्रस्तुत किया जाना 1866
लेने की रीति 1806
अतिरिक्त दस्तावेज
का पेश किया जाना तथा साक्षी को पुनः बुलाना 1241
अतिरिक्त वाद बिन्दु
की रचना 1184
अतिरिक्त प्रतिभूति
का आदेश देने की शक्ति..... 2048
अधिवक्ता
की व्यावसायिक फीस की वसूली 1681
का व्यस्त होना.....1971
की भूल.....1989
अधिवक्ता आयुक्त
की रिपोर्ट का मूल्यांकन.....1584
की नियुक्ति 1582
अधिवक्ता, लिपिक
द्वारा धोखा.....1964
अधिकरण
के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील---- उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी 1851
अधिकार
शुरु करने का 1802
वाद प्रस्तुत करने का.....1595
आरंभ करने का 1227
अपील जारी रखने का..... 1495
अपील में सुनवाई का 1835
संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के अन्तरण को समाप्त करने का वाद व कर्ता का उन्मोचन प्रदत्त करने का.....2029
साक्ष्य का खण्डन करने का 1236
विधि विरुद्ध व्यवसाय के बचाव करने का.....1760
निर्णीत ऋणी का अनुतोष का 1392
निर्योग्यता प्राप्त व्यक्ति के विरुद्ध वाद का..... 2024
नीलाम क्रेता का.....1405
बन्धकदार के..... 1658
भागीदार की मृत्यु पर वाद का..... 1598
मार्ग का 1764

अधिकारिता
अन्तरिम व्यादेश के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने पर मूल न्यायालय की 1745
का अनियमित प्रयोग.....1379
न्यायालय की.....1656
पुनर्विलोकन न्यायालय की.....2078
में स्थित भूमि 1292
अधिकारियों
द्वारा बोली लगाने या क्रय करने पर निर्बन्धन 1341
अधिनिर्णीत
उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का 1286
अधिनिर्णय
को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र की परिसीमा.....1992
अनिवार्यता
साक्ष्य की.....1187
अनियमित प्रयोग
अधिकारिता का.....1379
अनियमितता
विक्रय को दूषित नहीं करेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे क्षति हुई है, वाद ला सकेगा.....1342
अभिरक्षा
जंगम सम्पत्ति की.....1316
अभिलेख
अपील न्यायालय मामले का अन्तिम रूप से अवधारण कर सकेगा.....1805
को प्रस्तुत करना.....1676
पर मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए आवेदन-पत्र.....1495
अभिलेखों
का अन्वेषण 1143
में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन 1156
अभिवचन
वाद पत्र में.....1931
अपील में नवीन 1284
का सत्यापित किया जाना 1634
का सत्यापन.....1596
प्राङ्न्याय एवं परिसीमा का 1905
पर हस्ताक्षर किया जाना और उसका सत्यापन 1595
परिसीमा से अभिमुक्ति का.....1911
में अभिवाक्.....1163
अभिवचनों
या शपथपत्रों में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण.....1130
अभिवाक्
अभिवचन में.....1163
का परित्याग.....1186
नोटिस की गैर तामीली की..... 2088
अभिवृद्धि
वर्णित अवधि में.....1991
उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की 2056
अभिकर्ता
आदेशिका प्राप्त करने के लिए सरकार का 1586
और अभिधारी अन्तराभिवाची वाद संस्थित नहीं कर सकेगा 1670
अभिकथन
स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात.....1125
अभिसाक्षी
की प्रतिपरीक्षा के लिए हाजिर कराने का आदेश देने की शक्ति 1245
अभिसाक्ष्य
का भाषान्तर कब किया जाएगा 1231
कब साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकेगा 1561
अभिलिखित
ऐसा ज्ञापन बनाने में असमर्थ न्यायाधीश अपनी असमर्थता के कारण 1233

अभिलिखित करना
साक्ष्य को.....1242
अभिनिश्चय
करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात हैं.....1125
अभिधारी
के अधिभोग में की सम्पत्ति का परिदान.....1349
अभियुक्त
लोक अति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उसका दावा--- परिवाद का खण्डित किया जाना....2063
को साबित करना है कि कोई कब अथवा दायित्व नहीं था.....2104
अर्थ
निर्णय में सुधार एवं निर्णय का.....1263
डाक द्वारा तामील का.....2080
अदालत
का कर्त्तव्य.....1904
अधीन होगा
नियम 101 या नियम 103 के अधीन आदेश लम्बित वाद के परिणाम के.....1352
अन्वेषण
दस्तावेजों या अभिलेखों का.....1143
परिप्रश्नों द्वारा.....1143
अनादृत विनिमय-पत्र
के अप्रतिग्रहण का टिपण करने के खर्च की वसूली.....1675
अनुरोधपत्र
जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है उसकी परीक्षा करने के लिए.....1561
अनुसचिवीय कार्य
करने के लिए कमीशन.....1563
अनुज्ञा
वाद को वापस लेने की.....1552
अनुज्ञा---क्रमशः
के बिना डिक्रीदार सम्पत्ति के लिए न बोली लगाएगा और न उसका क्रय करेगा.....1339
प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षान्तरण करने की.....1499
निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दाखिल करने की.....1642
अनुज्ञात
वे प्रश्न जिन पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा.....1232
अनुज्ञात नहीं
निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात् वादी को.....1555
अनुज्ञप्ति राशि
एवं निर्णीत ऋणी.....1485
अनुज्ञेयता
आयुक्त द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित करने की.....1241
प्रारम्भिक डिक्री का संशोधन/उपांतरण की.....1284
प्रोबेट कार्यवाही पक्षकारों के बीच समझौते की.....1554
पक्षकारों का अभियोजन की.....1497
अनुतोष
व्यादेश का.....1711
अनुपालन
प्रक्रिया का.....1420
अनुमति
अकिंचन की भाँति अपील की.....1971
प्रतिपरीक्षा की.....1248
अननुपालन
प्रकटीकरण के आदेश का.....1132
अनैतिक प्रयोजन
हेतु सबूत का भार.....1394
अन्तःकालीन लाभ
जिसकी रकम बाद में अवधारित होनी है, डिक्री की दशा में कुर्की.....1313

अन्तराभिवाची वाद
में वादपत्र 1669
अन्तरण
लघुवाद न्यायालय को.....1292
की रीति.....1292
परक्राम्य लिखतों और अंशों का.....1343
अन्तर्वस्तु
डिक्री की.....1252
अन्तर्वर्ती आदेश
का मंजूर किया जाना.....1732
मंजूर करने के संपूर्ण सामग्री पर यह पता लगाने के लिए विचार करना .1766
अन्तरिम व्यादेश
की मांग 1725
के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने पर मूल न्यायालय की अधिकारिता.....1745
अन्तरिम विक्रय
का आदेश देने की शक्ति.....1702
अन्तर्विष्ट
स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के आवेदन में कुछ विशिष्टियों का.....1295
अन्य सम्पत्ति
की दशा में निहित करने वाला आदेश .1343
अन्य न्यायालय
द्वारा अन्तरित डिक्री का उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन 1293
के सामने लिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की शक्ति.....1233
अन्य मामलों
में प्रतिप्रेषण.....1805
अपकृत्य
से दुःखी कार्य.....2029
अपास्त किया जाना
एकपक्षीय रूप से पारित आदेशों, आदि का 1352
एकपक्षीय डिक्री का.....1992
न्यायालय —क्रमशः
उपशमन का 1478
कार्यवाही का 1660
कपटपूर्ण डिक्री का.....1554
संक्षिप्त वाद एकपक्षीय डिक्री का.....1668
समझौता डिक्री का 1553
नीलाम विक्री में 1655
मध्यस्थ पंचाट को.....1992
विक्रय को.....1412
अपास्त न किया जाना
विक्रय से पूर्व किन्तु विक्रय की उद्घोषणा की तामील के पश्चात् निर्णीत ऋणी की मृत्यु पर विक्रय का.....1302
अपील
लंबित रहने तक न्यायालय की शक्तियां 2048
अवधारण के लिए प्रश्न 1873
का व्यपदेशन.....1590
का उपशमन 1423
का संक्षेपतः खारिज किया जाना.....1914
का ग्रहण और उस पर प्रक्रिया..... 2047
का प्ररूप-ज्ञापन के साथ क्या-क्या दिया जाएगा 1795
का प्रत्यावर्तन.....1494
को पुनरीक्षण मामना 1971
की खारिजी की वैधता 1846
की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील 1800
की पोषणीयता 1829
के प्रत्यावर्तन के लिए याचिका को दाखिल करने में विलम्ब.....1495
सरकार द्वारा.....1872
स्थगन प्रार्थना के अभाव में.....1845
हेतु ज्ञापन 1845
जारी रखने का अधिकार 1495

अपील ---क्रमशः
विवादित निक्षेप के रकम की शर्त---का लागू होना 1872
निष्पादन संबंधी आदेश की.....2050
न्यायालय की शक्ति.....1808
न्यायालय के न्यायाधीशों से उच्च न्यायालय को.....2061
न्यायालय द्वारा रोका जाना.....1797
न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना.....1806
फेडरल न्यायालय में.....2050
मृत व्यक्ति के द्वारा या खिलाफ.....1986
में सुनवाई का अधिकार.....1835
में प्रतिवादी बनाया जाना.....1487
में नवीन अभिवचन.....1284
के ज्ञापन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना.....1799
न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा.....1799

अपील न होना
नियम 5 के अधीन पारित डिक्री की.....1672

अपील मानना
पुनरीक्षण को.....1971

अपीलार्थी
की बीमारी और विलम्ब.....1963
के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना.....1802

अपीली न्यायालय
के निर्णय की वैधता को चुनौती.....1873
की शक्ति.....1884

अपीलें
आदेशों की.....1875

अपेक्षाएं
न्यायालय के निर्णय के.....1829

अपेक्षा
अपील न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की.....1799

अपर्याप्त
पाए जाने पर प्रतिभूति का बढ़ाया जाना.....2049

अपर्याप्त राशि
जमा की गई है वहां प्रक्रिया.....1205

अपर्याप्तवय
की अक्षमता और विलम्ब क्षमा.....1964

अभाव
वाद हेतुक का.....1639
औपचारिक आदेश का.....1625
गरीबी या धन का.....1966

अकिंचन
की भाँति अपील की अनुमति.....1971
के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन....1636

अकिंचन वाद
एवं मियाद.....1624
का निरस्तीकरण.....1634
की प्रक्रिया एवं परिसीमा.....1898

अकिंचन रूप
में वाद लाने के लिए आवेदन नियम 2 द्वारा यथा- अपेक्षित रूप में सत्यापित न होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता.....1641

आ

आरंभ
करने का अधिकार.....1227

आवश्यक
ऐसे आदेश को पारित करने की शक्ति जैसा कि पूर्व न्याय करने के लिए.....2053
क्या धारा 5 के छूट के लिये आवेदन पृथक् से देना.....1985

आवश्यक अनुदेश
न्यायालय कमिश्नर को 1564
आवश्यक नहीं
साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना.....1126
आवश्यक पक्षकार
का असंयोजन.....1656
आवश्यकता
अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की.....1596
प्रति-परीक्षा की 1242
आवेदक
की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना 1628
की परीक्षा.....1627
आवेदन
आक्षेपकर्ता का 1389
अकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए...1636
का उपस्थापनए 1626
का नामंजूर किया जाना.....1627
की सुनवाई 1352
की विषय-वस्तु.....1626
कब नामंजूर किया जाएगा 2065
कमीशन निकलवाने के लिए.....1567
संयुक्त डिक्रीदार द्वारा निष्पादन के लिए.....1296
ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया.....1629
प्रस्ताव की सूचना का.....1900
विलंब की माफी के लिए.....1796
विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए.....1346
विक्रय द्वारा वाद में अंतिम डिक्री के लिए.....1655
डिक्री के अन्तरिती द्वारा निष्पादन के लिए.....1296
डिक्री के उपांतरण के लिए.....1388
डिक्री के निष्पादन के लिए.....1365
निष्पादन के लिए.....1293
आवेदन—क्रमशः
निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए.....1345
निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए.....2065
दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए.....1129
दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का 2066
न्यायालय-फीस के संदाय के लिए.....1630
पुलिस सहायता के लिए.....1393
का वर्जन.....2067
आवेदन-पत्र
एल0 टी0 आई0 (बायें अंगूठे के निशान) का वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए.....1584
का ग्रहण किया जाना.....1270
की निर्वाह योग्यता.....1396
कब्जा में व्यक्ति का.....1397
एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए.....1495
अभिलेख पर मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए.....1495
उपशमन को अपास्त करने के लिए.....1494
के बिना विलम्ब का दोषमार्जन 1994
समझौता डिक्री—पुर्नविलोकन के लिए.....1553
प्रारम्भिक डिक्री की शर्तों में अंतिम डिक्री पारित करने के लिए.....1668
विवादित हस्ताक्षरों के वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए.....1584
विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए.....1493
दस्तावेज को साबित करने की अनुज्ञा चाहने वाला.....1242
मार्ग को खोलने के लिए आदेश—निष्पादन के लिए.....1454
आगमों
का उपयोजन 1651

आक्षेप
वे प्रश्न जिन पर कमिश्नर के समक्ष.....1565
को विचारणार्थ ग्रहण करने से इंकार करने का औचित्य 1994
निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना---निष्कर्ष पर.....1805
नियम 97 के अधीन तीसरे पक्षकार द्वारा 1453
नामंजूरी का आदेश अपीलनीय न होगा---आवेदन की मंजूरी के आदेश पर.....2066
परिप्रश्नों के संबंध में उत्तर द्वारा 1129

आक्षेपकर्ता
का आवेदन.....1389

आज्ञा
रिसीवर के ऊपर वाद लाने हेतु न्यायालय की.....1791

आज्ञप्ति
एवं वादपत्र संशोधन और विलम्ब क्षमा 1953

आक्रमण नहीं
उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि पर 2057

आदेश
व्यादेश का 1752
अन्य व्यक्ति के बारे में 1321
अन्य सम्पत्ति की दशा में निहित करने वाला.....1343
उत्तर देने के या अतिरिक्त उत्तर देने के लिए.....1129
का लागू होना 1618
का अनुवचन न्यायालय में किया जाना चाहिए.....1264
का अनुपालन करने में असफलता का प्रभाव 2048
का अपीलों को लागू होना 1592
का कार्यवाहियों को लागू होना 1459

आदेश ---क्रमशः
को पारित करने की शक्ति जैसा कि पूर्व न्याय करने के लिए आवश्यक है.....2053
कौन से न्यायालय विक्रयों के लिए 1343
की दशा में प्रतिभूति.....1798
कमीशन के लिए.....1559
के विरुद्ध प्रति अपील---के लिए परीक्षा 1873
साक्ष्य हेतु.....1847
गारनिशी के विरुद्ध 1321
डिक्री के अधीन हकदार पक्षकार को सिक्के या करेन्सी नोटों का संदाय किए जाने का 1331
डिक्री पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का.....1304
निरीक्षण के लिए..... 1131
धारा 5 के अन्तर्गत पारित आदेश क्या अपील में पारित..... 1986
न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का 1157
पक्षकार की उपस्थिति एवं गैर जमानती..... 1214
बेकब्जा किए जाने का परिवाद करने वाले आवेदन पर पारित किया जाने वाला 1351
मंजूर किए गए आवेदन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए 2067
यथापूर्व स्थिति का 1760
का अपीलों को लागू होना 1459
अवयस्क को 1133

आदेश 20 नियम 18
बंटवारा वाद---प्रारम्भिक डिक्री का निष्पादन की परिसीमा---की औचित्यता 1268

आदेश 21 नियम 28
की प्रयोज्यता 1384

आदेश 41 के नियम 14
का लागू होना 1874
आदेशों
को डिक्री माना जाना 1352
की अपीलें 1875
के लिए आवेदन सूचना के पश्चात् किया जाएगा 1703
आदेशों और सूचनाओं
की तामील कैसे की जाएगी 2079
आदेशिका
की तामील उसे निकलवाने वाले पक्षकार के व्यय पर की जाएगी 2079
की तामील 1576
प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता 1586
निष्पादन के लिए 1302
पर पृष्ठांकन 1303
आधार
जो अपील में लिए जा सकेंगे 1796
परिसीमा की कालावधि का विस्तार करने का 1995
ऑफिसर
जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे 1593
आपत्ति
कुर्की के विरुद्ध 1400
निष्पादन के विरुद्ध 1405
नीलामी के विरुद्ध 1406
आबद्ध
बेदखली के वाद में न्यायालय समझौते को अभिलिखित करने, तदनुसार डिक्री पारित करने के लिए 1515
आबद्धकर
निगम को निर्दिष्ट व्यादेश उसके अधिकारियों पर 1702
आबंटन
निष्क्रान्त सम्पत्ति का 1553
आयुक्त
द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित करने की अनुज्ञेयता 1241
की नियुक्ति 1578

इ

इंकार
विलम्ब को दोषमार्जित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से 1994
इंकार करना
दस्तावेजों को पेश करने से 1166
इत्तिला दिया जाना
न्यायालय द्वारा पक्षकारों को इस बात की---कि अपील कहां की जा सकेगी 1251

उ

उल्लंघन
वादकालीन आदेश का 1782
व्यादेश आदेश का 1387
स्थायी व्यादेश के लिए डिक्री का 1381
यथास्थिति मंजूर करने वाले अंतरिम आदेश का 1782
उल्लेख
प्रतिप्रेषण के आदेश में अगली सुनवाई का 1805
निष्कर्ष के कारणों का 1848
उलट दिया जाना
डिक्री को 1264
उद्देश्य
कमीशन का 1580
प्रश्नों का 1142
उच्च न्यायालय
का क्षेत्राधिकार 2071

उच्च न्यायालय—क्रमशः
का निर्णय पारेषित किया जाएगा और मामला तदनुसार निपटाया जाएगा 2059
को प्रश्न का निर्देश....2059
को किए गए निर्देश के खर्चे....2059
की शक्ति....1848
की प्रयोज्य शक्ति एक वैध अभियोजन को दबाना नहीं....2063
के द्वारा संचालित किए जाने वाली विधि....2061
द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना..1286

उच्च न्यायालयों
की आदेशिकाओं की तामील कौन कर सकेगा....2119
की संहिता का उपयोजन....2062

उत्तर
देने के या अतिरिक्त उत्तर देने के लिए आदेश....1129
में दिए गए शपथ-पत्र का प्ररूप....1129
में दिए गए शपथ-पत्र का फाइल किया जाना....1129

उत्तरदायी
व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए....1339

उच्चतम न्यायालय
को प्रत्यक्षतः कोई अपील नहीं होगी....2053
की शक्तियों की अभिवृद्धि—पुनर्विलोकन....2056
के आदेश का प्रवर्तन....2055
के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया....2049
के द्वारा घोषित विधि उच्च न्यायालय के द्वारा कतराया नहीं जा सकता है....2052
के द्वारा घोषित विधि पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है....2057

उच्चतम न्यायालय—क्रमशः
के द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिट....2058
के निर्णय के कोई विपरीत नहीं....2054

उगती फसलों
के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध....1341

उचित नहीं
शपथपत्र का सत्यापन....1248

उठाया जाना
डिक्री की तुष्टि पर कुर्की का....1330

उद्घोषणा
लोक नीलाम द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की....1336
करने की रीति....1338

उन व्यक्तियों
का कर्त्तव्य जो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन किए गए हैं....1210

उन्मोचन
एक संयुक्त अधिकारी द्वारा अन्य की सहमति के बगैर....2027
से तात्पर्य....2027

उन्मोचित
किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर प्रक्रिया....1690
निर्णीत-ऋणी का दायित्व....1304

उपशमन
वाद का....1479
अपील का....1423
का अपास्त किया जाना....1478
को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र....1494
पर अपील का खारिज किया जाना....1495
बेदखली कार्यवाही का....1496
या खारिज होने का प्रभाव....1458

उपशमन न होना
सुनवाई के पश्चात् मृत्यु हो जाने से.....1457
स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का.....1457
उपलब्ध
निर्णय की प्रतिलिपि कब---करायी जाएगी.....1252
उपस्थित करना
सिद्धांत को.....1419
उपस्थिति
शपथकर्ता की.....1249
साक्षी के रूप में.....1221
उपसंजाति
के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकेगी.....1689
सुलह के प्रयास के असफलता के परिणामस्वरूप न्यायालय के समक्ष.....1125
सुलह फोरम या प्राधिकारी के समक्ष 1125
भागीदारों की.....1598
उपसंजात होना
पक्षकार का अन्य साक्षियों से पहले.....1230
पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष.....1566
उपचार
अजनबी के लिए.....1396
समझौते के विरुद्ध.....1525
उपधारणा
उसी आधार पर है.....2084
5 दिन की नोटिस.....2086
को खण्डित करने का अभियुक्त पर भार है.....2107
कब खण्डनीय है.....2107
विवक्षित मंजूरी की.....1527
धारा 144 (एफ0) के अधीन साक्ष्य अधिनियम के अधीन की.....2101
नोटिस की तामीली की.....2082
नोटिस की तामीली के बारे में.....2081
उपधारणा---क्रमशः
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन.....2108
पाने वाला पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर रहा की.....2081
उपबन्ध
कुर्की को लागू होने वाले.....1692
कुर्क की गई कृषि उपज के बारे में.....1319
कुछ मदों के बारे में.....1286
उपयोग
परिप्रश्नों के उत्तरों का विचारण में.....1132
उपयोजन
आगमों का.....1651
उच्च न्यायालयों की संहिता का.....2062

ऋ

ऋण
का संदाय.....1679
जहां अन्य व्यक्ति का हो वहां प्रक्रिया....1321
की कुर्की जो निर्णीतऋणी के कब्जे में नहीं है.....1320

ए

एल0 टी0 आई0 (बायें अंगूठे के निशान)
का वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए आवेदन-पत्र.....1584
एक दिन
का विलम्ब.....1995
एकपक्षीय आदेश
को वापस लेना.....1221
को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र.....1495

औ

औचित्य
आक्षेप को विचारणार्थ ग्रहण करने से इंकार करने का.....1994

औचित्यता

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
आदेश 20 नियम 18---
बंटवारा वाद---प्रारम्भिक डिक्री
का निष्पादन की परिसीमा की.....1268

औपचारिक आदेश

का अभाव 1625

क

कुर्की

ऐसे ऋण, अंश या अन्य सम्पत्ति की.....1320
कृषि उपज की.....1319
करने का ढंग.....1210
का हटा लिया जाना.....1691
का पर्यवसान.....1331
को लागू होने वाले उपबन्ध.....1692
की वैधता.....1400
के आवेदन में कुछ विशिष्टियों का
अन्तर्विष्ट होना.....1295
के आदेश का जारी रहना 1399
के लिए आवेदन जो निर्णीत-ऋणी
के कब्जे में नहीं है.....1295
के विरुद्ध आपत्ति.....1400
सरकार या रेल कम्पनी या स्थानीय
प्राधिकारी के सेवक के वेतन या
भत्तों की.....1322
सम्पत्ति की 1791
स्थावर सम्पत्ति की.....1329
प्रत्याहृत की जा सकेगी.....1209
जहां हेतुक दर्शित नहीं किया जाता
या प्रतिभूति नहीं दी जाती वहां.....1691
जंगम सम्पत्ति में अंश की.....1322
डिक्रियों की.....1327
निर्णीतऋणी के कब्जे में की ऐसी
जंगम सम्पत्ति की.....1314
निर्णय के समक्ष.....1695
निर्णय के पहले.....1692

कुर्की ---क्रमशः

निर्णय के पूर्व चल सम्पत्तियों की.....1406
न्यायालय या लोक अधिकारी की
अभिरक्षा में की सम्पत्ति की.....1327
परक्राम्य लिखतों की 1326
भागीदारी की सम्पत्ति की 1324
भाटक या अन्तःकालीन लाभों या
तत्पशचात् अन्य बातों के लिए,
जिसकी रकम बाद में अवधारित
होनी है, डिक्री की दशा में 1313

कुर्क की गई संपत्ति

के विक्रय किए जाने और उसके
आगम हकदार व्यक्ति को दिए
जाने के लिए आदेश करने की
शक्ति.....1336
पर दावों का और ऐसी संपत्ति की
कुर्की के बारे में आक्षेपों का
न्यायनिर्णयन.....1332
की निर्मुक्ति.....1384

कुर्क नहीं

लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति
को.....1692
कृषि-उपज निर्णय के पूर्व.....1692

कुछ मामलों

में सरकार से या लोक अधिकारी से
कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की
जाएगी 1588

कुटुम्ब

का अर्थ.....1619

कृषि उपज

का विक्रय.....1341
की कुर्की.....1319
निर्णय के पूर्व कुर्क नहीं होगी 1692

करार

वाद के रूप में फाइल किया जाएगा
और रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा.....1671
का निष्पादन सद्भाव-पूर्वक 1172
लिखित एवं हस्ताक्षरित.....1526

करार या समझौता
वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा.....1610
करेन्सी नोटों
का संदाय किए जाने का आदेश 1331
कलक्टर
कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा...1785
के रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षा करने की शक्ति.....1296
कल्याण विशेषज्ञ
से सहायता 1619
कई व्यक्तियों
में से एक की निर्योग्यता..... 2026
कई प्रतिवादियों
में से किसी एक का विवाद नहीं है 1195
कर्त्तव्य
इस धारा के अन्तर्गत अपील अदालत का.....1904
सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का.....1587
कारागार
के भारसाधक अधिकारी का कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित न करना 1216
में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति.....1216
में निरुद्ध करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस..... 1398
में निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए..... 1309
कारणों
को लेखबद्ध करने के लिए प्रावधान अनुपालित किए गए थे 2054
कारबार
स्वयं अपने नाम से भिन्न नाम से चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद ...1599
काल वर्जित अपील
एवं प्रत्याक्षेप.....1820
काट दिया जाना
प्रतिरक्षा का 1198
कानून
के संशोधन---का प्रभाव.....1284
कानूनी लिखत
की विधिमान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की न्यायालय की शक्ति..... 1592
कौटुम्बिक व्यवस्थापन
के आधार पर सहमति डिक्री.....1554
कार्यान्वित न करना
कारागार के भारसाधक अधिकारी का कुछ मामलों में आदेश को.....1216
कार्यवाही
का अपास्त किया जाना 1660
का परिवर्तन 1913
के पूर्व न्यायालय की इजाजत लेना आवश्यक 1382
संस्थित करने में पूर्ण सावधानी 1948
प्रतिभू के विरुद्ध 1411
चला देना---अंतरिम व्यादेश.....1782
पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य, आदि पेश करने में असफल रहने पर भी.....1219
परिवार की व्यवस्था से सम्बंधित..... 1623
कार्यवाहियां(यों)
जिनको यह धारा लागू होती है 2019
सूचना के आज्ञानुवर्तन में या गिरफ्तारी के पश्चात् निर्णीतऋणी के उपसंजात होने पर 1311
जिनको यह धारा लागू होती है 2019
का बन्द कमरे में किया जाना 1618
जिनको यह धारा लागू होती है 1938
में धारा 3 लागू होती है 1908

कथित

तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवाद्यकों के रूप में.....1171

कथित होना

गिरफ्तारी के लिए आवेदन में आधारों का.....1295

कमिश्नर(रों)

की प्रक्रिया.....1564

की नियुक्ति.....1583

के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा.....1566

कर्तव्य

अहस्ताक्षरित निर्णय को हस्ताक्षरित करने का.....1263

निपटारे के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का.....1618

न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए लीडर का.....1459

तथ्यों की जांच करने का.....1619

कथन

का संशोधन.....1127

का पेश किया जाना.....1227

न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का.....1251

कपटपूर्ण आधार

पर हस्ताक्षरित अभिवचन.....1657

कपटपूर्ण डिक्री

का अपास्त किया जाना.....1554

कब्जा(जे)

और अन्तःकालीन लाभों के लिए डिक्री.....1253

के लिए सुसंगत डिक्री.....1381

हेतु वाद.....1267

प्राप्त करने में असफलता.....1396

में व्यक्ति का आवेदन पत्र.....1397

कब्जा(जे)---क्रमशः

ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णीत-ऋणी के---- में नहीं है.....1295

का प्रत्यावर्तन.....1397

की डिक्री में हस्तक्षेप.....1272

की पुनः प्राप्ति हेतु वाद.....1271

कब

उपधारणा खण्डनीय है.....2107

कमीशन

लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए.....1563

वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए.....1567

वे मामले जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए.....1559

वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए.....1563

अनुसचिवीय कार्य करने के लिए.....1563

का उद्देश्य.....1580

का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारेषण.....1568

के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे.....1565

के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा.....1561

के लिए आदेश.....1559

साक्षी की परीक्षा हेतु.....1570

स्थावर संपत्ति का विभाजन करने के लिए.....1564

स्थानीय अन्वेषण करने के लिए.....1562

स्थानीय अन्वेषण के लिए.....1584

जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए.....1563

जारी करने के लिए आवेदन-पत्र का खारिज किया जाना.....1584

किसके नाम निकाला जा सकेगा.....1568

निकलवाने के लिए आवेदन.....1567

कमीशन—क्रमशः
न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए.....1561
पर कथनों को अभिलिखित कराने की शक्ति.....1235
कमी
संविदात्मक दर की.....1659
कैश क्रेडिट खाते
और बिल डिस्काउटिंग क्रय खाते के अधीन शोध्य रकम एवं उस पर प्रोद्भूत ब्याज.....1683
क्रयधन
की वापसी.....1348
के पूरे संदाय के लिए समय.....1344
क्रेता
को प्रमाणपत्र.....1348
द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय.....1344

ख

खर्चे(चों)
उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के.....2059
जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां.....1629
परिप्रश्नों के.....1128
का संदाय देवता की सम्पदा से किया जाना.....1385
खारिज(जी)
अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का.....1802
निष्पादन आवेदन-पत्र का आज्ञप्तिधारी की हाजिरी में व्यतिक्रम की दशा में.....1372
वाद की.....1225
खारिज होना
वाद का.....1914
खारिज किया जाना
व्यतिक्रम के कारण वाद का.....1224
उपशमन पर अपील का.....1495
कमीशन जारी करने के लिए आवेदन-पत्र का.....1584
खोज
किसी नये तथ्य की.....1968
खण्डन
पंजीकृत आवरण के अन्तर्गत पत्र की तामीली के संबंध में उप-धारणा का.....2085
बचाव का.....1144
खण्डित किया जाना
अभियुक्त लोक अति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उसका दावा परिवाद का.....2063

ग

गठन
डिक्री का.....1379
गरीबी
या धन का अभाव.....1966
ग्रहण
अभिसाक्ष्य कब साक्ष्य में—किया जा सकेगा.....1561
आवेदन पत्र का.....1270
ग्राह्यता
साक्ष्य में आयुक्त की रिपोर्ट की.....1766
गारनिशी
को सूचना.....1320
के विरुद्ध आदेश.....1321
द्वारा किया गया संदाय विधिमान्य उन्मोचन होगा.....1322
गणना
अवधि की.....2022
तीन वर्ष की.....2032

गिरफ्तारी

का वारंट.....1695

के वारण्ट में निर्णीत-ऋणी के लाए जाने के लिए निदेश होगा.....1310

के लिए आवेदन में आधारों का कथित होना.....1295

गृहीत प्रविष्टियों

की प्रतियों पर पृष्ठांकन.....1156

गृहीत दस्तावेजों

का लौटाया जाना.....1157

का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों का लौटाया जाना.....1156

घ

घाटा

का लाभ निर्योग्यता समाप्ति के बाद ही मिलना.....2024

घोर अन्याय

यदि विवाद्यक विरचित करने में असफलता के परिणामस्वरूप.....1187

घोषणा

एवं स्थायी व्यादेश के लिए वाद---विधिक स्थिति.....1528

च

चार्टरित उच्च न्यायालयों

के बारे में व्यावृत्ति.....2119

चढ़ाया जाना

अपील के ज्ञापन का रजिस्टर में.....1799

चुनाव याचिका

तथ्यों का प्रकटीकरण.....1162

चुनौती

अस्थायी निषेधाज्ञा को.....1885

अपीली न्यायालय के निर्णय की वैधता को.....1873

सहमति डिक्री को.....1552

छ

छोड़ने (भेजने)

के तथ्यों के बारे में पाने वाले के द्वारा मात्र अस्वीकरण---उपधारणा को खण्डित करने को पर्याप्त नहीं.....2090

छुट्टी

की अवधि के दौरान अभिस्वीकृत पत्र या ब्याज का भुगतान.....1925

की घोषणा के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न होना.....1968

छूट

मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिविधियों के प्रतिस्थापन के बिना कार्यवाही करने की वादी को.....1497

ज

जंगम सम्पत्ति

ऋणी और अंशों का परिदानए.....1342

के विक्रय के लिए कमीशन.....1563

की अभिरक्षा.....1316

की कुर्की के लिए आवेदन जो निर्णीत-ऋणी के कब्जे में नहीं है...1295

के परिदान के लिए डिक्री.....1253

में अंश की कुर्की.....1322

जारकर्म

का आरोप गम्भीर आरोप है और इससे पत्नी के चरित्र पर लांछन लगता है, जिससे समाज में पत्नी की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है.....1163

जारी रहना

कुर्की के आदेश का.....1399

जारी किया जाना

साम्पत्तिक विक्रय के नाम से एन0 एस0 सी0.....1602

जांच
का विस्तार 1995
विवाद के बारे में 1993
निर्धन व्यक्तियों के साधनों की 1626
जेल में रहना
पक्षकार का 1966
जमा किया जाना
न्यायालय में धन का 1759
जमाकर्ता
के अधिकार संशोधित नियमों के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जावेंगे 2115
जमानतदार
के विरुद्ध वाद 1676
जोड़ा जाना
वादकालीन अंतरिती का 1496
विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में पश्चात्वर्ती क्रेता का 1496

ट

टिप्पणियां
साक्षियों की भावभंगी के बारे में 1233

ड

डाक
की तामीली—समझा गया कि संसूचना तामील की गयी 2098
द्वारा तामील का अर्थ 2080
डिक्री
शुफा (अग्रक्रय) के वाद में 1275
शुफा के दावे में 1255
अवयस्क के विरुद्ध 1601
आदेशों को—माना जाना 1352
का शून्यीकरण 1676
का समायोजन 1380
का निष्पादन 1386
को अपास्त करने की शक्ति 1675
डिक्री—क्रमशः
को उलट दिया जाना 1264
कौटुम्बिक व्यवस्थापन के आधार पर सहमति 1554
की वैधता 1529
की अन्तर्वस्तु 1252
की प्रतियां प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना फाइल कर लेगा 1293
की प्रमाणित प्रति उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई थी 1809
की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना 1257
की श्रेणी 1401
की तिथि 1259
की तारीख और अर्न्तवस्तु 1808
की तुष्टि पर कुर्की का उठाया जाना 1330
की तैयारी 1252
की परिभाषा 2044
कब्जा और अन्तःकालीन लाभों के लिए 1253
कब्जा के लिए सुसंगत 1381
के अधीन हकदार पक्षकार को सिक्के या करेन्सी नोटों का संदाय किए जाने का आदेश 1331
के अधीन प्रतिदावों की दशा में निष्पादन 1300
के अधीन धन के संदाय की रीतियां 1289
के अन्तरिती द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन 1296
के उपांतरण के लिए आवेदन का दिया जाना 1388
के निष्पादन का स्थगन 1831
के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया 1297
के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति 1798

डिक्री ---क्रमश:

के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग.....1799

संयुक्त एवं अभिभाज्य 1487

समस्त सम्पदा पर आबद्धकर है 1474

सम्पत्ति के विभाजन के लिए या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद में.....1288

सम्बंधी धनराशि की वसूली.....1402

स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए.....1254

स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए ...1253

द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति.....1422

प्रशासन-वाद में 1254

प्रति वेधात्मक व्यादेश की.....1454

जहां कुछ भी शोध्य नहीं पाया जाए या जहां बंधकदार को अतिसंदाय कर दिया गया हो.....1649

जंगम सम्पत्ति के परिदान के लिए 1253

जब स्थावर सम्पत्ति अभिधारी के अधिभोग में है तब ऐसी सम्पत्ति के परिदान के लिए.....1309

जब मुजरा या प्रतीपदावा अनुज्ञात किया जाए तब 1256

विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के लिए.....1305

विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए.....1306

किस्तों द्वारा संदाय के लिए निदेश दे सकेगी 1253

निष्पादन एवं कुर्की.....1387

दस्तावेज के निष्पादन या परक्राम्य लिखत के पृष्ठांकन के लिए.....1308

धन के संदाय की.....1305

पारित करने वाले न्यायालय का या अपील न्यायालय का आदेश उस न्यायालय के लिए आबद्धकर होगा जिससे आवेदन किया गया है 1304

भागीदारी के विघटन के लिए वाद में ..1255

मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए लाए गए वाद में.....1256

डिक्रीदार

और निर्णीतऋणी के बीच वाद लम्बित रहने तक निष्पादन का रोका जाना 1304

को न्यायालय के बाहर संदाय 1291

के आवेदन पर विचारण 1370

द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन 1296

या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना 1351

डिक्रियों

की कुर्की.....1327

के विरुद्ध अपील में के ऐसे आदेशों पर आक्षेप करने का अधिकार जिनकी अपील नहीं की जा सकती 1877

के निष्पादन की कार्यवाहियों पर प्रभाव न पड़ना 1500

डिक्री धन

का 25 पैसे शेष रखना---संवैधानिकता.....1174

डिक्री या आदेश

का उस न्यायालय द्वारा निष्पादन जिसे वह भेजा गया है.....1293

ढ

ढंग

कुर्की करने का.....1210,1400

त

तकनीकी

आधार पर रोकने के बजाय पक्षकारों को सुना जाना चाहिए 1847

तारीख
डिक्री की 1252
बेदखली के वाद में प्रथम सुनवाई की....1197
तात्विक कथनों
का वर्णन 1240
तात्पर्य
वाद संस्थित होने का....1895
वाद या आवेदन करने की कोई अयोग्यता या निर्योग्यता से....2033
उन्मोचन से....2027
तामील
आदेशों और सूचनाओं की....2079
आदेशिका की....1576
अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का 1800
के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना....1207
समन की---कैसे होगी....1207
निगम पर....1595
परिप्रश्नों की....1143
तामील नहीं
प्रत्यर्थी को अपील की नोटिस की.... 2075
तामीली
का समय एवं तरीका....2089
प्रभावित होने को समझी जावेगी---कब....2096
निर्णय के लिए सम्मन की....1677
का मात्र अस्वीकरण---उपधारणा को खण्डित करने को पर्याप्त नहीं 2084
तिथि
डिक्री की 1259
तीस दिन
व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा---के भीतर निपटाया जाना 1701
तीन वर्ष
की गणना....2032
तुरन्त कब्जा
जो भूमि वाद की विषय-वस्तु है उस पर पक्षकार का---कब कराया जा सकेगा 1703
तुलना
व्यापारिक चिन्हों की 1777
क्या न्यायालय विवादित हस्ताक्षर की.... 2117
अंगूठे के निशान की....1584
न्यायालय के हस्ताक्षर की.... 2112
तृतीय पक्षकार
का प्रतिवादी बनाया जाना....1485
तथ्य
के प्रश्न पर नए साक्ष्य का प्रत्युद्धरण.... 2070
के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवाद्यकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे....1171
तथ्यों
का दमन 1660
को स्वीकृत करने की सूचना 1147
को प्रकटीकरण....1677
की जांच करने का कर्तव्य....1619
तैयारी
डिक्री की....1252

द

दस्तावेज
का वापस किया जाना....1162
का पेश किया जाना....1213
को साबित करने की अनुज्ञा चाहने वाला आवेदन-पत्र....1242
की ग्राहयता का प्रश्न 1161
के निष्पादन या परक्राम्य लिखत के पृष्ठांकन के लिए डिक्री....1308
पेश करने के लिए समन 1206

दस्तावेजों
का पेश किया जाना 1130
को पेश करने के लिए सूचना 1148
को पेश करने से इंकार करना 1166
की स्वीकृति के लिए सूचना 1146
के प्रकटीकरण के लिए आवेदन 1129
से संबंधित उपबन्धों का भौतिक पदार्थों को लागू होना 1158
सम्बन्धी शपथपत्र....1130
या अभिलेखों का अन्वेषण....1143
दस्तावेजी साक्ष्य
का प्रस्तुत किया जाना....1162
दंड
व्यादेश के उल्लंघन के लिए 1781
दावा
मिथ्या अभियोजन के आधार पर 1151
मृत व्यक्ति के विरुद्ध....1507
दावाकृत चीज
का न्यायालय में जमा किया जाना....1669
दावे
का वापस लिया जाना....1507
की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप 1555
दाखिल
द्वितीय नोटिस से एक माह के अन्दर .. 2094
प्रतिआक्षेप को 1993
नये वाद का....1616
नये सिरे से वाद का....1505
दायित्व
उन्मोचित निर्णीतऋणी का....1304
दो या अधिक न्यायाधीशों
से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन 2066
दोष
वाद का वापस लिया जाना औपचारिक 1552
दोषमार्जन
आवेदन-पत्र के बिना विलम्ब का 1994
दाम्पत्य अधिकारों
का प्रत्यास्थापन 1154
के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री का निष्पादन....1454
दिया जाना
विशिष्ट परिप्रश्नों का....1128
पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रतियों का 1809
द्वितीय आवेदन पत्र
का निस्तारण 1657
द्वितीय अपील
में या पुनर्विलोकन में प्रथम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में विलम्ब ..1982
द्वितीय नोटिस
से एक माह के अन्दर दाखिल किया परिवाद वर्जित नहीं 2094
दीवानी वाद
व्यापारिक ट्रेडमार्ग पर....1746
सुखाधिकार पर....1750
देवता
के हक संबंधी वाद में डिक्री पारित किया जाना....1431
दबाना
उच्च न्यायालय की प्रयोज्य शक्ति एक वैध अभियोजन को 2063
दमन
तथ्यों का....1660

ध

धारा
का अनुपालन न करने का परिणाम 1914
का उद्देश्य एवं क्षेत्र 1923
का क्षेत्र....2026
का सिद्धान्त....1922
में संशोधन 2018

धारा 3
जिन कार्यवाहियों में लागू होती है.....1908
धारा 4
के प्रावधानों की विवेचना.....1925
धारा 5
का लाभ.....1948
के आदेश में कारण देना आवश्यक है 1985
के अन्तर्गत पारित आदेश क्या अपील में पारित आदेश होगा.....1986
के छूट के लिये आवेदन पृथक् से देना आवश्यक है.....1985
में आवेदन पर आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण.....1984
धारा 6
का क्षेत्र.....2017
के प्रावधानों की विवेचना.....1925
धारा 8
के प्रावधानों की विवेचना.....1925
धारा 12
के प्रावधानों की विवेचना.....1925
धारा 14
में दर्शायी गई परिस्थितियां 1948
धारा 113
के परन्तुक के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश 2059
धारा 138
के अधीन साक्ष्य.....1232
धारा 144 (एफ0)
के अधीन साक्ष्य अधिनियम के अधीन की उपधारणा उठायी जा सकती है..... 2101
धन
के संदाय की डिक्री.....1305
धनराशि
का संदाय 1402
की वापसी हेतु वाद 1679
धनीय वाद
वचनपत्र पर आधारित.....1688
धनीय डिक्री
का निष्पादन 1380

न

नगर महापालिका
द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली..... 1763
निराकरण
जहां अवयस्क सहवादी, वयस्क होने पर वाद का 1613
निरसित
अधिनियम में परिवर्तन 1931
निरीक्षण
अभिवचनों या शपथपत्रों में निर्दिष्ट दस्तावेजों का.....1130
करने की न्यायालय की शक्ति.....1234
के लिए आदेश 1131
के लिए समय.....1130
निर्वाह योग्यता
आवेदन पत्र की.....1396
निवृत्ति
वाद-मित्र की..... 1611
निर्वचन
का सिद्धांत 1573
नियम का.....1695
निष्कर्ष
के कारणों का उल्लेख.....1848
निष्कर्ष और साक्ष्य
का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना—निष्कर्ष पर आक्षेप 1805
निषेधाज्ञा
एवं विधि मान्यता.....1695
की अवज्ञा 1758
निर्माण अवर न करने हेतु 1765
बैंक के विरुद्ध.....1757

निष्क्रान्त सम्पत्ति
का आबंटन.....1553
निष्पादकों
का संयोजन 1603
निष्पादन
एक ही डिक्री के अधीन प्रतिदावों की दशा में निष्पादन.....1300
अप्राप्तवय के विरुद्ध.....1616
अन्य न्यायालय द्वारा अन्तरित डिक्री का उच्च न्यायालय द्वारा.....1293
का प्रवर्तन 1382
कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत सम्पत्ति की कुर्की होनी और उसका विक्रय किया जाना.....1437
के लिए आवेदन.....1293
के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति....1798
के लिए आदेशिका 1302
के विरुद्ध आपत्ति.....1405
के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना 1300
संबंधी आदेश की अपील.....2050
प्रति-डिक्रियों की दशा में.....1298
विक्रय को अपास्त करने के लिए दिए जाने करते आवेदन के आवश्यक पक्षकार 1441
विदेशी निर्णय का 1454
विभाजन के लिए डिक्री का 1453
डिक्री का.....1386
डिक्री या आदेश का उस न्यायालय द्वारा---जिसे वह भेजा गया है.....1293
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री का 1454
धनीय डिक्री का.....1380
न्यायाधिकरण दावे के निर्णय का 1403
फर्म के विरुद्ध डिक्री का.....1325
बंधक सम्पत्ति के खाली कब्जे की डिक्री का 1449
बन्धक डिक्री का 1381
निष्पादन ---क्रमशः
मो0 या0 अधिनियम की धारा 168 के अधीन दावा अधिकरण के अधिनिर्णय का.....1454
मध्यस्थम अधिनिर्णय का.....1379
निष्पादन आवेदन-पत्र
का आज्ञप्तिधारी की हाजिरी में व्यतिक्रम की दशा में खारिज कर दिया जाना 1372
निष्पादन कार्यवाहियों
को आदेश का लागू होना.....1567
निष्पादन डिक्री
के विरुद्ध निगरानी 1288
निष्पादन न्यायालय
की शक्ति.....1403
द्वारा वगैर नोटिस दिए कब्जे का वारंट जारी किया जाना.....1423
निस्तारण
वाद का.....1683
समझौते द्वारा वाद का.....1522
प्रति अपीलों का.....1462
द्वितीय आवेदन पत्र का 1657
निगरानी
निष्पादन डिक्री के विरुद्ध 1288
निगम
को निर्दिष्ट व्यादेश उसके अधिकारियों पर आबद्धकर होगा ..1702
के अधिकारी की स्वीय हाजिरी अपेक्षित करने की शक्ति.....1595
पर तामील.....1595
निक्षेप
करने पर विक्रय को अपास्त कराने के लिए आवेदन.....1345
की सूचना.....1555
की बाकी की वापसी 2048
के ऊपर हस्ताक्षर---प्रभाव.....1239

निक्षेप ---क्रमशः

प्रमाणपत्र दिए जाने पर अपेक्षित प्रतिभूति और..... 2046

दावे की तुष्टि में प्रतिवादी द्वारा रकम का.....1555

पर ब्याज सूचना के पश्चात् वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा 1555

निक्षेप एवं मियाद

की वैधानिकता 1389

निचले न्यायालय

को समय देने और सुनवाई को स्थगित करने की शक्ति.....1225

को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति.....1799

निविदान

साक्षी को व्ययों का 1205

निक्षिप्त राशि

के आधार पर समायोजन.....1401

निर्णीत-ऋणी

के अधिभोग में की सम्पत्ति का परिदान 1349

की अपनी सम्पत्ति के बारे में उसकी परीक्षा.....1313

के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है 1314

एवं अन्तःकालीन लाभ.....1150

का अनुतोष का अधिकार.....1392

निर्णीत किया जाना

विल की यथार्थता---को एक पृथक् विवाद्यक के रूप में.....1285

निर्णय

क्या निदेश दे सकेगा 1808

का पुनर्विलोकन 1792

की अन्तर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर....1807

की घोषणा का प्रक्रम.....1274

की प्रतिलिपि कब उपलब्ध करायी जाएगी 1252

निर्णय ---क्रमशः

की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना....1257

की पुष्टि.....1873

कब और कहां सुनाया जाएगा 1806

कब सुनाया जाएगा.....1250

के समक्ष कुर्की.....1695

के लिए समन.....1688

के लिए सम्मन की तामीली 1677

के पहले कुर्की 1692

के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन.....2065

के पूर्व कुर्की का आदेश पारित किया जाना 1683

के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्यायनिर्णयन 1691

के पूर्व चल सम्पत्तियों की कुर्की.....1406

स्वीकृतियों के आधार पर..... 1148

से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क नहीं की जाएगी 1692

हस्ताक्षरित किया जाएगा.....1251

पंच निर्णय के स्वीकृत किये हुए भाग पर 1150

में सुधार एवं निर्णय का अर्थ..... 1263

यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादन सद्भाव- पूर्वक हुआ था तो वह---सुना सकेगा..... 1172

सुनाया जाना न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर 1170

बदला जाना विचारण न्यायालय के एक बिन्दु पर 1179

निर्देश

वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक ढंग के लिए विकल्प देने का, न्यायालय का.....1125

गिरफ्तारी के वारण्ट में निर्णीतऋणी के लाए जाने के लिए.....1310

उच्च न्यायालय को प्रश्न का..... 2059

निर्देश —क्रमशः
करने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति 2059
समय का इसलिए बढ़ाया जाना कि लोक अधिकारी सरकार से.....1587
धारा 113 के परन्तुक के अधीन उच्च न्यायालय को.....2059
निर्धारण
वाद बिन्दु का.....1181
निर्धन व्यक्ति
के रूप में वाद दाखिल करने की अनुज्ञा.....1642
के रूप में अपील का अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना.....1642
द्वारा वाद को वापस लेना 1636
द्वारा वाद की पोषणीयता.....1642
का प्रतिनिधित्व न हो उसके लिए न्यायालय द्वारा लीडर नियत किया जाना 1629
के वाद के उपशमन पर प्रक्रिया.....1630
के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण 1629
के रूप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इन्कार के कारण.....1631
के रूप में कौन अपील कर सकेगा 2041
द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे.....1626
द्वारा अपील का प्रस्तुतीकरण.....1639
द्वारा प्रतिवाद.....1632
जहां सफल होता है वहां खर्चे 1629
निर्धन व्यक्तियों
के साधनों की जांच.....1626
के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति 1632
निपटारे
के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य 1618
निपटान
स्वीकृति पर याचिका का.....1154
निर्बन्धन
अधिकारियों द्वारा बोली लगाने या क्रय करने पर 1341
निर्माण
अवर न करने हेतु निषेधाज्ञा 1765
निर्मुक्ति
कुर्क सम्पत्ति की.....1384
नियंत्रित नहीं
जमाकर्ता के अधिकार संशोधित नियमों के द्वारा.....2115
निर्योग्य व्यक्ति
के खिलाफ परिसीमा का न रूकना 2024
निर्योग्यता
कई व्यक्तियों में से एक की 2026
की समाप्ति के पूर्व मृत्यु.....2025
समाप्ति के पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर..... 2024
जिन्हें यह धारा लागू होती है.....2023
जिस दिन अवधि की गणना प्रारम्भ होती है, उस दिन.....2021
निर्योग्यता प्राप्त व्यक्ति
के विरुद्ध वाद का अधिकार 2024
नियुक्ति
अधिवक्ता कमीशन की.....1582
कमिश्नर की 1583
प्रापक का.....1794
परिसरों के अवधारण के लिए न्यायालय द्वारा आयोग की.....1581
अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की.....1604
आयुक्त की.....1578
सह रिसीवर की 1790
संरक्षक की 1615
प्रापक की.....1764
रिसीवर की 1787

नियम
का निर्वचन.....1695
स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया नियम एवं अभिवृद्धि का.....2053
पृथकता का.....1187
नियम 2
के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति.....1215
नियम 97
के अधीन तीसरे पक्षकार द्वारा आक्षेप.....1453
नियम 10 से नियम 13
तक का लागू होना.....1211
नियम 101 या नियम 103
के अधीन आदेश लम्बित वाद के परिणाम के अधीन होगाए.....1352
नियमों
का लागू होना.....2119
नीलाम
विक्री में अपास्त किया जाना.....1655
नीलाम विक्रय
अपास्त करना.....1438
नीलाम क्रेता
का अधिकार.....1405
नीलामी
के विरुद्ध आपत्ति.....1406
सम्पत्ति की.....1417
नोटिस
का जारी किया जाना.....1847
का देना एवं नोटिस का प्राप्त करना.....2094
कारागार में निरुद्ध करने के पूर्व.....1398
की गैर तामीली की अभिवाक्.....2088
की तामील के लिए प्रक्रिया.....2117
की तामीली के बारे में उपधारणा.....2081
नोटिस ---क्रमश:
के देने एवं नोटिस की प्राप्ति के बीच अन्वर.....2091
संकीर्ण तकनीकी तरीके में नहीं समझी जा सकती है.....2093
प्रतिस्थापन की.....2088
डाक के द्वारा दी जानी चाहिए.....2090
तामीली की गयी कही जा सकती है---कब.....2095
नौसैनिक
जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते.....1593
नामंजूर
आवेदन का.....1627
जहां वाद में किए गए अभिकथनों से वाद हेतुक दर्शित नहीं होता वहां आवेदन.....1639
किया जाना विसंगत या अग्राही दस्तावेजों का.....1155
नामंजूरी
का आदेश अपीलनीय न होगा---आवेदन की मंजूरी के आदेश पर आक्षेप.....2066
नुकसानी
का वाद.....1634
नये वाद
का वर्जन.....1495
का दाखिल किया जाना.....1616
नये विवाद्यकों
की विरचना.....1817
नये तथ्य
की खोज.....1968
न्यास
विशिष्ट उद्देश्य का.....2037
न्यास सम्पत्ति
से किरायेदार की बेदखली के लिए प्रापक द्वारा दाखिल किया गया वाद.....1794

न्यासधारी

कौन है?....2036

कौन नहीं है?....2036

न्यासियों

का संयोजन....1603

के विरुद्ध वाद....2039

तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद....2036

में निहित सम्पत्ति से सम्पृक्त वादों में हिताधिकारियों का प्रतिनिधित्व....1603

न्यायालय

उक्त संहिता के आदेश 40 के नियम 1 के अधीन दी गई शक्ति के आधार पर धन संबंधी वाद में भी रिसीवर नियुक्त कर सकता है....1793

ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है....2059

क्या विवादित हस्ताक्षर की तुलनाकर सकता है....2117

और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है....1673

का कर्त्तव्य परिसीमा के मुद्दे को उठाना और निर्णीत करना....1903

का स्वविवेकाधिकार....1677

का क्षेत्राधिकार....1198

को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए लीडर का कर्तव्य....1459

कौन से विक्रयों के लिए आदेश कर सकेंगे....1343

कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश देगा....1564

की शक्ति....1145

की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति....1671

की अधिकारिता का अवधारण....1187

की अधिकारिता....1656

न्यायालय—क्रमशः

की अभिरक्षा में की सम्पत्ति की कुर्की....1327

की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन....1561

की यह निदेश देने की शक्ति कि उसके द्वारा बनाए गए प्रश्न पर अपील सुनी जाए....1874

के रोक आदेश की शक्ति....1377

के अधिकारी की त्रुटि....1967

के हस्ताक्षर की तुलना....2112

के निर्णय की रिपोर्ट किया जाना....2052

के निर्णय के अपेक्षाएं....1829

के न्यायाधीशों से उच्च न्यायालय को अपील....2061

स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेख में से कागज मंगा सकेगा....1158

सरकार को पक्षकार के रूप में जोड़ सकेगा....1591

साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा....1234

साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा....1559

से आवेदन जिसकी डिक्री परिवादित है....2044

से तात्पर्य उचित न्यायालय....1928

समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा....1218

हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा....1251

द्वारा कमीशन के लौटाए जाने के लिए समय नियत किया जाना....1567

द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना....1170

द्वारा जारी किये गये परिपत्र की अवज्ञा....1403

द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से पक्षकार के इन्कार का परिणाम....1211

न्यायालय—क्रमशः

विवाद्यकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा..................1171

किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा.............1157

निष्पादन को कब रोक सकेगा............1303

में व्यय का संदत्त किया जाना.............1215

में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति..............1206

में धन का जमा किया जाना..............1759

में धन, आदि का जमा किया जाना.....1703

न्यायालय-फीस

के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी ..1630

के संदाय के लिए समय का दिया जाना...1632

एवं तत्संबंधी प्रश्न 1187

की वसूली.......................................1642

के संदाय के लिए समय दिया जाना.....2041

न मिलना.......................................1967

न्यायाधिकरण दावे

के निर्णय का निष्पादन......................1403

न्यायाधीश

के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति.....................1251

ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है वहां प्रक्रिया 1253

न्यायोचित्य

वाद की खारिजी के आदेश का..........1274

न्यायनिर्णयन

कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का और ऐसी संपत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों का......................1332

के पश्चात् आदेश............................1350

निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के दावे का.....................................1691

प

पर्याप्त कारण

जहां दर्शित किया गया वहां विशेषाधिकार के प्रयोग का सामान्य सिद्धान्त........................1946

पर्याप्त नहीं

छोड़ने (भेजने) के तथ्यों के बारे में पाने वाले के द्वारा मात्र अस्वीकरण उपधारणा को खण्डित करने को 2090

तामीली का मात्र अस्वीकरण---- उपधारणा को खण्डित करने को... 2084

पर्यवसान

कुर्की का..1331

पश्चात्वर्ती वाद

की पोषणीयता................................1506

पश्चात्वर्ती चरण

में अन्तिम आदेश बाध्यकारी 1411

आदेश के विरुद्ध प्रति अपील के लिए...1873

परीक्षा

आवेदक की 1627

कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी 1566

कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की..................................1561

साक्षी की 1213,1236

निर्णीतऋणी की अपनी सम्पत्ति के बारे में उसकी 1313

न्यायालय विवाद्यकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की..............................1171

परक्राम्य लिखत अधिनियम

नहीं वास्ता है कि नोटिस डाक के द्वारा दी जानी चाहिए 2090

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139

के अधीन उपधारणा 2108

परक्राम्य लिखतों
और अंशों का अन्तरण.....1343
को लागू होना.....1322
की कुर्की.....1326
और निगमों के अंश.....1342
पकड़ा गया साक्षी
साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता वहां प्रक्रिया....1211
पहली सुनवाई
में प्रक्रिया.....1669
पत्र
को स्वीकार करने से इन्कार कर रहा की उपधारणा.....2081
पक्षकार
शासन हो या निगमित निकाय हो.....1968
वाद के.....1419
वादकालीन समनुदेशिती का बनाया जाना.....1496
का अन्य साक्षियों से पहले उपसंजात होना.....1230
का जेल में रहना.....1966
का परित्याग.....1526
को समय दिया जाना.....1224
की लापरवाही.....1949
की उपस्थिति एवं गैर जमानती आदेश.....1214
की गैर हाजिरी—निर्णय सुनाने की वैधता.....1127
की मृत्यु की सूचना.....1486
की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा.....1125
के साक्षी का मौखिक परीक्षण.....1126
निष्पादन विक्रय को अपास्त करने के लिए दिए जाने करते आवेदन का..1441
नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया.....1219
न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे.....1672
पक्षकार—क्रमशः
पुरोबन्ध, विक्रय और मोचन के वादों के.....1643
बनाया जाना.....1485
या उसके अभिकर्त्ता द्वारा विधि की भूल.....1951
या उसके प्रतिनिधि के द्वारा तथ्य सम्बन्धी त्रुटि.....1950
पक्षकारों
का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना.....1566
का संयोजन.....1833
की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति.....1848
में से किसी पक्षकार के साक्ष्य, आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्यवाही कर सकेगा.....1219
में विवाद.....1195
का अभियोजन की अनुज्ञेयता.....1497
को निर्णय और डिक्री की प्रतियों का दिया जाना.....1809
पंच निर्णय
के स्वीकृत किये हुए भाग पर निर्णय.....1150
पंचायत अध्यक्ष
का निर्वाचन.....1782
पंजीकृत आवरण
के अन्तर्गत पत्र की तामीली के संबंध में उपधारणा का खण्डन.....2085
पारेषण
कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का.....1568
पारिश्रमिक
रिसीवर का.....1793
पारित किया जाना
निर्णय के पूर्व कुर्की का आदेश.....1683

पारित डिक्री
की अपील न होना.....1672
परिवार
की व्यवस्था से सम्बंधित कार्यवाही.....1623
परिवर्तन
वर्तमान तथा निरसित अधिनियम में 1931
कार्यवाही का.....1913
परिसरों
के अवधारण के लिए अपील न्यायालय द्वारा आयोग की नियुक्ति.....1581
परिसीमा
एक अवकाश को समाप्त हो जाती है.....1995
वाह्य आज्ञप्ति जो सहमति से प्राप्त की गयी है 1906
वादपत्र के संशोधन की बाबत.....1913
अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र की 1992
उपचार समाप्त करती है, परन्तु अधिकार को नहीं.....1900
का प्रश्न क्या तकनीकी है?.....1915
का प्रश्न---विधिक या तथ्य का प्रश्न है?.....1904
की कालावधि का विस्तार करने का आधार 1995
के वर्णन के प्रश्न का अवधारण 2039
के अभिवचन के परित्याग का प्रभाव....1906
के अभिवचन पर विवर्जन (स्टॉयल) का सिद्धान्त.....1907
के समय का प्रारम्भ होना 1994
के प्रश्न का विनिश्चय.....1187
के प्रश्न को बचाव का आधार न बनाया जावे वहां प्रक्रिया.....1898
के प्रश्न पर पुनरावलोकन 1917
के बिन्दु पर ग्रहणशीलता का प्रभाव 1906
से अभिमुक्ति का अभिवचन.....1911
समवर्ती अनुतोषों के सम्बन्ध में.....1915
परिसीमा---क्रमशः
सम्बन्धी नया अभिवचन.....1904
द्वारा वर्जन 1888
विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा.....1499
पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र की.....1994
पुनर्विलोकन का..... 2074
बचाव को समाप्त नहीं करती.....1901
मात्र कार्यवाहियों के प्रस्तुतीकरण को लागू होता है, उसके चलते रहने पर नहीं 1912
परिसीमा अवधि
एवं अन्तर्भूत शक्ति.....1910
के प्रारम्भ के समयकार्यवाही करने के लिए हकदार हो..... 2020
परिसीमापन
अधीन समवाय के द्वारा या विरुद्ध कार्यवाही 1899
परिप्रश्नों
का अपास्त किया जाना और काट दिया जाना 1129
का उद्देश्य..... 1142
का प्ररूप..... 1128
की तामील 1143
के उत्तरों का विचारण में उपयोग 1132
के खर्चे..... 1128
के संबंध में उत्तर द्वारा आक्षेप 1129
द्वारा अन्वेषण.....1143
द्वारा प्रकटीकरण कराना 1128
परिशिष्टों
में दिए गए प्ररूपों का उपयोग 2079
परिणाम
व्यादेश की अवज्ञा या भंग का.....1700
धारा का अनुपालन न करने का.....1914
न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से पक्षकार के इन्कार का.....1211

परिदान
अभिधारी के अधिभोग में की सम्पत्ति का....1349
जंगम संपत्ति, ऋणी और अंशों का....1342
निर्णीतऋणी के अधिभोग में की सम्पत्ति का....1349
परिभाषाएं
सरकार और सरकारी लीडर की....1588
परित्याग
वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का....1498
अभिवाक् का....1186
पक्षकार का....1526
प्रशासकों
का संयोजन....1603
प्रशासन एवं प्रापक
की स्थिति एक समान होती है....1790
प्रशासन-वाद
में डिक्री....1254
प्रश्न
अवधारित किए जाने वाले....1351
अपील अवधारण के लिए....1873
के बारे में जांच कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं....2041
जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं....1232
जिन पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किया जाता है....1565
दस्तावेज की ग्राहयता का....1161
भूमि के साथ चलने वाले निषेधाज्ञा का....1417
प्रवर्तन
व्यादेश का....1492
उच्चतम न्यायालय के आदेश का....2055
वित्तीय निगम द्वारा दावों का....1696
निष्पादन का....1382
माध्यस्थम् अधिनिर्णय का....1453
प्रवर्तित कराना
रिसीवर के कर्तव्यों को....1784
प्रकरण
का महत्त्वपूर्ण होना कोई कारण नहीं....1970
में लोकहित का निहित होना....1971
प्रकट किया जाना
भागीदारों के नामों का....1597
प्रकटीकरण
के आदेश का अननुपालन....1132
के लिए आवेदन....1129
चुनाव याचिका तथ्यों का....1162
तथ्यों को....1677
प्रकटीकरण कराना
परिप्रश्नों द्वारा....1128
प्रस्ताव
की सूचना का आवेदन....1900
प्रस्तुत करना
अभिलेख को....1676
निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील का अधिवक्ता द्वारा....1642
दस्तावेजी साक्ष्य का....1162
वाद का....1615
निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील का....1639
में असफलता....1161
प्ररूप
उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र का....1129
स्वीकृतियों का....1148
सूचना का....1147
परिप्रश्नों का....1128
पुनर्विलोकन के आवेदनों का....2065
प्रारम्भिक डिक्री
का संशोधनह्नउपांतरण की अनुज्ञेयता....1284
की शर्तों में अंतिम डिक्री पारित करने के लिए आवेदन-पत्र....1668
विक्रय के लिए वाद में....1645
पुरोबन्ध वाद में पारित....1655

प्रारम्भिक डिक्री—क्रमशः

मोचन के वाद में.............................1647

के विरुद्ध अपील—में विलम्ब............1284

पुरोबंध वाद में................................1667

प्रारम्भ

करने का अधिकार...........................1242

प्रारम्भ होना

परिसीमा के समय का.......................1994

प्राइवेट कर्मचारियों

के वेतन या भत्तों की कुर्की................1324

प्राकृतिक

का सिद्धान्त..................................2075

प्राङ्गन्याय

एवं परिसीमा का अभिवचन..............1905

का सिद्धांत....................................1383

प्राप्त करना

नोटिस का देना एवं नोटिस का..........2094

प्राप्ति

वाद कारण की...............................2025

अवयस्क की ओर से वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक को डिक्री के अधीन सम्पत्ति की.......................1610

प्राधिकृत

जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को...................................1593

प्राधिकृत व्यक्ति

स्वयं कार्य कर सकेगा या लीडर नियुक्त कर सकेगा......................1594

सरकार के लिए कार्य करने के लिए.....1586

पर या उसके लीडर पर की गई तामील उचित तामील होगी.........1594

प्रार्थना पत्र

का विस्तारण नैसर्गिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः विलम्ब कर दिया जाना चाहिए.....1987

प्रापक

का नियुक्ति...................................1794

के रूप में कार्य...............................1790

प्रोनोट

पर आधारित वाद...........................1224

प्रोबेट कार्यवाही

पक्षकारों के बीच समझौते की अनुज्ञेयता.................................1554

प्रविष्ट

प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना—न किया जाना............1500

प्रक्रिया

लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में.......1588

वाद में अन्तिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में................1458

वादों में...1676

अपील का ग्रहण और उस पर...........2047

उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की.........................2049

उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर............................1690

कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में...........1455

कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में....................................1456

का अनुपालन.................................1420

कमिश्नर की..................................1564

कमिश्नर के लिए............................1562

संदाय में व्यतिक्रम होने पर...............1344

साक्ष्य प्रस्तुत करने की......................1238

सुनवाई में.....................................1628

सूचना के निकाले जाने के पश्चात्.......1302

प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए.........1674

प्रथम अपीलीय न्यायालय से अपील में लागू.....................................2062

जहां ऋण अन्य व्यक्ति का हो वहां........1321

प्रक्रिया—क्रमशः

जहां वादी निक्षेप को भागतः तुष्टि के तौर पर प्रतिगृहीत करता है वहां 1555

जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां 1205

जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां......1208

जहां प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है.......................................1669

जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां............................. 1690

जहां न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिक्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए वहां..................................1292

जहां पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता वहां 1211

जहां परिसीमा के प्रश्न को बचाव का आधार न बनाया जावे वहां.....1898

विधिक प्रतिनिधि न होने की दशा मे...1456

जिनमें किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त है 1591

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर.............................1297

निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन पर... 1630

नोटिस की तामील के लिए................ 2117

पहली सुनवाई में 1669

यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो 1629

यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो...................1209

यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो 1219

जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है 1630

प्रति वेधात्मक व्यादेश

की डिक्री..1454

प्रति अपीलों

का निस्तारण 1462

प्रतिरक्षा

का अवसर.......................................1677

का काट दिया जाना..........................1198

प्रतिरोध या बाधा

स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा करने में........1350

प्रतिवादियों

का वादियों के रूप में पक्षान्तरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी.....1499

में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया............... 1456

प्रतिवाद

करने का अवसर प्रदान किया जाना 1993

निर्धन व्यक्ति द्वारा 1632

प्रतिवादी

से उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग 1689

का आशय आवश्यक प्रतिबंध होता है.. 1694

की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया............1674

की प्रतिपरीक्षा 1225

जहां प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया............................1690

तृतीय पक्षकार का...........................1485

प्रतिआक्षेप

को दाखिल करना 1993

प्रतिषेधात्मक आदेश

के जारी रहने का प्रभाव.................... 1766

प्रतिकूल कब्जे

का विवाद्यक 1194

प्रतिकूल प्रभाव

अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का............... 1606

प्रतिसंहरण

प्रतिभूति के प्रतिग्रहण का................. 2047

प्रतिस्थापित (वैकल्पिक) तामीली
की वैधता 2089
प्रतिस्थापन
आवेदन-पत्र 1494
की नोटिस 2088
विधिक प्रतिनिधियों का 1993
प्रतिप्रेषण
वाद पत्र को संशोधित करने के लिए....1833
अन्य मामलों में....1805
के आदेश में अगली सुनवाई का उल्लेख किया जाना 1805
मामले का अपील न्यायालय द्वारा 1804
मामले का 1766
प्रतिप्रेषण आदेश
का विस्तार 1995
प्रति-डिक्रियों
की दशा में निष्पादन 1298
प्रतिनिधित्व
वाद मित्र द्वारा....1615
वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क का....1610
न्यासियों, आदि में निहित सम्पत्ति से सम्पृक्त वादों में हिताधिकारियों का 1603
प्रतिनिधि
वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना....1500
प्रस्थापित किया जाना....1477
प्रतिपरीक्षा
शपथकर्ता की....1248
की आवश्यकता 1242
की अनुमति 1248
प्रतिवादी तथा उसके साक्षी की....1225
प्रतिपाल्य
द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर पालक द्वारा किये अन्तरण को निरस्त करने का वाद....2029
प्रतिफल
के संबंध में उपधारणा---सबूत का भार....2110
प्रतिभू
के विरुद्ध कार्यवाही....1411
प्रतिभूति
के प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण 2047
डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में....1798
देने में असफल रहने का प्रभाव 1558
प्रक्रम
निर्णय की घोषणा का....1274
प्रतीपदावा
जब अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री 1256
प्रथम अपीलीय न्यायालय
से अपील में लागू प्रक्रिया 2062
प्रथम दृष्टया मामला
साबित होना चाहिए....1715
प्रथम बार
के न्यायालय को विवाद का पुनः भेजा जाना 2046
प्रभाव
वादी की गैर हाजिरी का....1846
व्यादेश से इनकार का....1707
आदेश का अनुपालन करने में असफलता का.... 2048
उपशमन या खारिज होने का 1458
कानून के संशोधन का....1284
संरक्षक होने का 2024
साक्ष्य पेश करने में किसी भी पक्षकार की असफलता का 1224
प्रतिषेधात्मक आदेश के जारी रहने का....1766

प्रभाव ---क्रमशः
प्रतिभूति देने में असफल रहने का.....1558
प्रमाणपत्र देने से इन्कार का..... 2046
डिक्रियों के निष्पादन की कार्यवाहियों पर---न पड़ना 1500
परिसीमा के अभिवचन के परित्याग का.....1906
परिसीमा के बिन्दु पर ग्रहणशीलता का.....1906
परिसीमा विधि पर पहले वाद का.....1499
पुनर्विलोकन की याचिका की खारिजी का.....2074
भूस्वामी की मृत्यु का.....1497
प्रमाणित प्रतियों
का दिया जाना.....1257
प्रमाणपत्र
दिए जाने पर अपेक्षित प्रतिभूति और निक्षेप..... 2046
क्रेता को.....1348
देने से इन्कार का प्रभाव 2046
प्रत्यावर्तन
आवेदन-पत्र 1993
आदेश नियम 3 के अधीन प्रक्रिया का.....1553
अपील का 1494
कब्जे का..... 1397
प्रत्यासन
का सिद्धांत 1733
प्रत्यास्थापन
दाम्पत्य अधिकारों का.....1154
प्रत्याहरण
प्रत्यावर्तन आवेदन पत्र का.....1527
निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का.....1629
प्रत्याक्षेप
विवाद्यकों के सम्बंध में.....1816
फाइल किया जाना.....1817
प्रत्याहृत
यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है तो कुर्की---की जा सकेगी.....1209
प्रयोग
शक्ति का..... 1127
विवेकाधिकार का.....1476
डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का.....1799
प्रयोज्यता
आदेश 21 नियम 28 की.....1384
प्रत्युद्धरण
तथ्य के प्रश्न पर नए साक्ष्य का 2070
प्रत्यर्थी
को अपील की नोटिस की तामील नहीं.....2075
के आवेदन पर पुनः सुनवाई जिसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री की गई है 1803
पिता
एवं उसके अवयस्क पुत्र के विरुद्ध वाद 1614
पुरोबंध वाद
में प्रारंभिक डिक्री 1667
में अन्तिम डिक्री.....1644
में प्रारम्भिक डिक्री.....1643
में पारित प्रारम्भिक डिक्री.....1655
पुरोबंध, विक्रय
और मोचन के वादों के पक्षकार 1643
पुलिस सहायता
के लिए आवेदन 1393
पुष्टि
निर्णय की.....1873
पुनः कुर्क
निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में---नहीं की जाएगी 1692

पुनः ग्रहण करना
व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को.....1802
पुनः बुलाना
अतिरिक्त दस्तावेज का पेश किया जाना तथा साक्षी को.....1241
पुनरीक्षण
को अपील मानना.....1971
के आवेदन पत्र पर परिसीमा का लागू होना.....1916
धारा 5 में आवेदन पर आदेश के विरुद्ध 1984
पुनरीक्षण याचिका
की पोषणीयता 1554
पुनर्विलोकन
का विस्तार 2075
का परिसीमा..... 2074
की याचिका की खारिजी का प्रभाव 2074
के आवेदनों का प्ररूप 2065
के लिए आवेदन किसको किए जाएंगे ...2065
निर्णय का 1792
न्यायालय की अधिकारिता..... 2078
पुनर्विक्रय
क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर.....1344
पर अधिसूचना.....1345
पूर्व न्याय
का सिद्धान्त लागू होना.....1190
करने के लिए किसी आदेश को पारित करने की..... 2051
पूर्विक बन्धक
के अधीन सम्पत्ति का विक्रय.....1650
पृष्ठांकन
आदेशिका पर 1303
साक्ष्य में अग्राह्य होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर.....1156
साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर.....1155
पृथकता
का नियम.....1187
पन्द्रह दिन
की नोटिस की उपधारणा.....2086
पत्नी
के चरित्र पर लांछन 1163
जारकर्म का आरोप गम्भीर आरोप है और इससे पत्नी के चरित्र पर लांछन लगता है, जिससे समाज में—की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है 1163
पट्टे
की सम्पत्ति 1791
पेश करना
दस्तावेजों को 1794
पेश किया जाना
अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का.....1806
कथन और साक्ष्य का 1227
विभाजन के लिए वाद में साक्ष्य का..... 1241
दस्तावेज का 1213
बीमा पालिसी का.....1824
मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व 1155
पोषणीयता
वाद की.....1601
अप्राप्तवय की ओर से पितामह द्वारा वाद की.....1617
अपील की 1829
सांकेतिक भाषा में लिखा गया आदेश की.....1995
विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद की..... 1127
निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद की 1642
पश्चात्वर्ती वाद की..... 1506
पुनरीक्षण याचिका की.....1554

फ

फाइल
डिक्री आदि की प्रतियां प्राप्त करने वाला न्यायालय उन्हें सबूत के बिना 1293
फोटो प्रति
फाइल किया जाना 1163
फर्म
के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन 1325,1425
फेडरल न्यायालय
में अपील 2050

ब

बच्चा
अल्प वयस्क और गर्भाशय का 2023
बकाया भूराजस्व
के देयों की वसूली की कार्यवाही को स्थगति करने के लिए व्यादेश 1781
बचाव
का खण्डन 1144
बंद होना
विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद साक्ष्य का 1226
बंधक और भार
हक विलेखों के निक्षेप द्वारा 1651
बंधक सम्पत्ति
के खाली कब्जे की डिक्री का निष्पादन .. 1449
बंधक-वादों
में प्रति-डिक्रियां और प्रतिदावे 1300
बंधकदार
द्वारा न्यायालय की इजाजत के बिना विक्रय में बोली का न लगाया जाना 1340
के अधिकार 1658
के खर्चे जो डिक्री के पश्चात् हुए हैं 1649
बहियों
में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन 1156
बीमा पालिसी
का पेश किया जाना 1824
बढ़ाया जाना
अपर्याप्त पाए जाने पर प्रतिभूति का 2049
अपील में प्रतिवादी 1487
बन्द कमरे में
कार्यवाहियों का—किया जाना 1618
बन्दी
का न्यायालय के अभिरक्षा में लाया जाना 1216
बन्धक
का मोचन 1657
के प्रवर्तन हेतु डिक्री को पारित करते समय किश्तों का लाभ 1658
के लिए वाद 1780
के मोचन का न हकदार होना 1668
बन्धक सम्पत्ति
का विक्रय कराने के लिए आवश्यक विक्रय का वाद 1651
के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना 1658
बन्धक डिक्री
का निष्पादन 1381
बिक्री
पर रोक 1417
बिन्दुओं
का विनिश्चय किया जाना 1262
बेकब्जा
किए जाने का परिवाद करने वाले आवेदन पर 1351
बेलिफ
की संरक्षकता 1364
बेदखली
की डिक्री के निष्पादन का स्थगन 1847
के वाद में प्रथम सुनवाई की तारीख 1197

बेदखली कार्यवाही
का उपशमन 1496
बेदखली डिक्री
की विधिमान्यता 1548
बैंक
के विरुद्ध निषेधाज्ञा 1757
बैंक की धनराशि
जहां वाद की विषय वस्तु है 1723
बैंक गारण्टी
भुनाये जाने से अवरुद्ध नही किया जा सकता 1573
ब्याज
का संदाय 1650
की गणना एवं संदाय 1659

भ

भ्रम उत्पन्न होना
छुट्टी की घोषणा के सम्बन्ध में 1968
भंग
की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश 1698
भंग होना
व्यादेश के आदेश का 1781
व्यादेश-आदेश का 1781
भार
वादी पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है 2110
वादी के खर्चों का 1670
अनैतिक प्रयोजन हेतु ऋण हेतु सबूत का 1394
उपधारणा को खण्डित करने का अभियुक्त पर 2107
साबित करने का 2109
सादे कागज पर हस्ताक्षर सबूत का 2113
प्रतिफल के संबंध में उपधारणा सबूत का 2110
सिद्धि का 1983
भारतीय पंचाट अधिनियम
पर परिसीमा अधिनियम का लागू होना 1909
भाषान्तर कब
अभिसाक्ष्य का 1231
भागीदार
की मृत्यु पर वाद का अधिकार 1598
की मृत्यु पर भागीदारी का विघटन 1791
भागीदारी
की सम्पत्ति की कुर्की 1324
के विघटन के लिए वाद में डिक्री 1255
भागीदारी फर्म
द्वारा या उसके विरुद्ध वाद 1601
भागीदारों
का हिस्सा 1267
का फर्म के नाम से वाद लाना 1597
की उपसंजाति 1598
के नामों का प्रकट किया जाना 1597
द्वारा ही उपसंजाति होगी अन्यथा नहीं 1599
भाटक
जिसकी रकम बाद में अवधारित होनी है, डिक्री की दशा में कुर्की 1313
भौतिक पदार्थों
को लागू होना 1158
भीतर
निर्योग्यता समाप्ति के पश्चात् ऐसी अवधि के 2024
भुगतान
छुट्टी की अवधि के दौरान अभिस्वीकृत पत्र या ब्याज का 1925
भूल
अधिवक्ता की 1989
पक्षकार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा विधि की 1951
भूस्वामी
की मृत्यु का प्रभाव 1497

भूमि
एक से अधिक अधिकारिता में स्थित....1292
के साथ चलने वाले निषेधाज्ञा का प्रश्न.....1417
जो वाद की विषय-वस्तु है उस पर पक्षकार का तुरन्त कब्जा कब कराया जा सकेगा.....1703

म

मकान
गिराए जाने के विरुद्ध व्यादेश.....1763
महत्व
हस्तलेख विशेषज्ञ की राय का.....1582
महान्यायवादी या महाधिवक्ता
को सूचना.....1591
मंजूर
किए गए आवेदन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश 2067
मंजूर किया जाना
अन्तर्वर्ती आदेश का 1732
मार्ग
का अधिकार 1764
को खोलने के लिए आदेश---निष्पादन के लिए
मांग
अन्तरिम व्यादेश की 1725
मालिक और अभिकर्ता
के बीच लेखा के लिए लाए गए वाद में डिक्री.....1256
माध्यस्थम् अधिनिर्णय
का प्रवर्तन 1453
मानहानि
के लिए वाद---व्यादेश.....1781
मो0 या0 अधिनियम की धारा 168
के अधीन दावा अधिकरण के अधिनिर्णय का निष्पादन.....1454
मोचन
के वाद में अन्तिम डिक्री 1648
के वाद में प्रारम्भिक डिक्री 1647
के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की वसूली.....1649
बन्धक का.....1657
माफी
विलम्ब की.....1823
विवाद्यक तय होने से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में हुए विलम्ब के लिए.....1165
मौखिक परीक्षा
पक्षकार की या पक्षकार के साथी की....1125
मौखिक परीक्षण
पक्षकार या पक्षकार के साक्षी का.....1126
मामले
का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण ...1804
का प्रतिप्रेषण 1274,1766
को नये सिरे से विनिश्चित किया जाना 1274
की स्वीकृति की सूचना 1146
की सुनवाई और निपटारा.....1672
जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा 1567
मुजरा
एवं प्रतिदावा 1899
या प्रतीपदावा जब अनुज्ञात किया जाए तब डिक्री 1256
मूल दस्तावेजों
का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना 1155
मूल्य
स्थायी अन्वेषण रिपोर्ट का.....1585
मूल्यांकन
अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट का.....1584

मृत व्यक्ति
के विरुद्ध दावा 1507
के द्वारा या खिलाफ अपील 1986
मृत पक्षकार
के विधिक प्रतिनिधियों को लाने के लिए आवेदन-पत्र 1495
की दशा में सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति देने की शक्ति 2047
मृत्यु
निर्योग्यता की समाप्ति के पूर्व 2025
पक्षकार की 1455
मदों
के बारे में उपबन्ध 1286
मध्यस्थ पंचाट
को अपास्त किया जाना 1992
मध्यस्थम अधिनिर्णय
का निष्पादन 1379

य

यथास्थिति
मंजूर करने वाले अंतरिम आदेश का उल्लंघन 1782

र

रकम
विक्रय का इसलिए मुल्तवी किया जाना कि निर्णीतऋणी डिक्री की 1343
रचना
अतिरिक्त वाद बिन्दु की 1184
विशिष्ट वाद बिन्दु की 1181
राज्यक्षेत्रों
पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद 2039
रोक
डिक्री के निष्पादन पर 1372
रोका जाना
वाद-मित्र के हटाए जाने, आदि पर कार्यवाहियों का 1611
डिक्रीदार और निर्णीतऋणी के बीच वाद लम्बित रहने तक निष्पादन का 1304
रोकना
विक्रय को 1333
रजिस्ट्रीकरण फीसों
का निक्षेप 1931
रिसीवर
का पारिश्रमिक 1793
की स्थिति 1791
की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय की शक्ति 1785
के ऊपर वाद लाने हेतु न्यायालय की आज्ञा 1791
के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना 1784
स्पष्टरूपेण न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है 1790
रिसीवरों
की नियुक्ति 1784
रिट
उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए 2058
रिपोर्ट
न्यायालय के निर्णय की 2052
रीति
अतिरिक्त साक्ष्य लेने की 1806
अन्तरण की 1292
उद्घोषणा करने की 1338
कुर्की करने की 1691
डिक्री के अधीन धन के संदाय की 1289
रेल कम्पनी
या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के वेतन या भत्तों की कुर्की 1322

ल

लघुवाद न्यायालय
को अन्तरण 1292
स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा.....1692
के निर्णय.....1251
लघुवादों
में अधिकारिता संबंधी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति.....2060
में अधिकारिता संबंधी भूल के अधीन की गई कार्यवाहियों को पुनरीक्षण के लिए 2060
लागू होगा
आदेश अवयस्क को.....1133
वसूली वाद---परिसीमा का.....1688
आदेश 41 के नियम 14 का 1874
आदेश का अपीलों को.....1459
आदेश का कार्यवाहियों को.....1459
इस आदेश का अपीलों को.....1592
स्थानीय विधि की कार्यवाहियों को.....1924
विशिष्ट या स्थानीय विधि में धारा 3 का 1897
निष्पादन कार्यवाहियों को आदेश का....1567
नियम 1 से नियम 14 तक का विकृतचित वाले व्यक्तियों को.....1613
नियम 10 से नियम 13 तक का 1211
दस्तावेजों से संबंधित उपबन्धों का भौतिक पदार्थों को 1158
परक्राम्य लिखतों को 1322
पूर्व न्याय का सिद्धान्त 1190
साक्षियों विषयक नियम समनित पक्षकारों को.....1212
लागू न होगा
वादकालीन अंतरिती को इन नियमों का.....1351
लापरवाही
पक्षकार की 1949
लोक अधिकारी
के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना.....1587
लीडर
जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न हो उसके लिए न्यायालय द्वारा...1629
लीडर कमिश्नर
की रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य.....1583
लोक अधिकारी
के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया.....1588
से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाए.....1798
लोक नीलाम
द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की उद्घोषणा.....1336
लौटाया जाना
साक्षियों के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन का.....1561
गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों का.....1156
गृहीत दस्तावेजों का.....1157
लाभ
धारा 14 में दर्शायी गई परिस्थितियां और धारा 5 का 1948
बन्धक के प्रवर्तन हेतु डिक्री को पारित करते समय किश्तों का.....1658
लेखाओं
की परीक्षा या समायोजन करने के लिए कमीशन 1563
के संबंध में विशेष निदेश.....1256
में की गृहीत प्रविष्टियों की प्रतियों पर पृष्ठांकन 1156
लेखे
का वाद---पोषणीयता.....1383

लेखबद्ध किया जाना
विसम्मति का 1808

व

वसूली
एक अधिवक्ता की व्यावसायिक फीस की 1681
अनादृत विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के अप्रतिग्रहण का टिपण करने के खर्च की 1675
हेतु वाद 1600
विक्रय के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की 1646
डिक्री सम्बंधी धनराशि की 1402
नगर महापालिका द्वारा सम्पत्ति कर की 1763
न्यायालय शुल्क की 1642
न्यायालय-फीस रकम की 1631
मोचन के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की 1649

वसूली वाद
परिसीमा का लागू होना 1688

वचनपत्र
पर आधारित धनीय वाद.....1688

वर्जन
वाद का.....1500,1522
वादी का दिवाला कब वाद का.....1458
कुछ आवेदनों का..... 2067
नये वाद का.....1495
परिसीमा द्वारा 1888

वारंट
गिरफ्तारी का 1695
निष्पादन न्यायालय द्वारा वगैर नोटिस दिए कब्जे का---जारी किया जाना 1423
में निर्णीत-ऋणी के लाए जाने के लिए निदेश होगा 1310

वादियों या प्रतिवादियों
में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां प्रक्रिया.....1455
में से एक पूरी डिक्री को उलटवा सकेगा जहां वह ऐसे आधार पर दी गई है जो उन सभी के लिए सामान्य है 1797

वाद
लेखा सम्बन्धी 1273
व्यतिक्रम का आधार एवं बेदखली 1174
व्यपदेश के लिए.....1918
अवयस्क, वाद-मित्र द्वारा.....1604
अचल सम्पत्ति हेतु.....2032
आवेदन या अपील का संस्थित किया जाना पेश किया जाना या प्रस्तुत किया जाना 1928
आदेश 40 के नियम 1 के अधीन दी गई शक्ति के आधार पर धन संबंधी 1793
अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे क्षति हुई है, ...1342
का वर्जन 1522
का वापस लिया जाना---औपचारिक दोष 1552
का अस्वीकृत किया जाना.....1625
का उपशमन 1479
का खारिज होना 1914
का स्थगन.....1846
का प्रस्तुतीकरण कार्यवाही.....1615
का प्रत्याहरण एवं नए वाद का संस्थित किया जाना.....1913
का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग.....1498
का निस्तारण 1683
का दाखिला 1505
का परित्याग 1525

वाद—**क्रमशः**

कारण का निलम्बन एवं पुनर्जीवित होना 2035
कारण की प्राप्ति.............................. 2025
को वापस लेने की अनुज्ञा...................1552
की खारिजी के आदेश का न्यायोचित्य..1274
की विषय-वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण, आदि 1702
की पोषणीयता 1601
कब्जा हेतु.......................................1267
कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु.....................1271
के पक्षकार.......................................1419
स्वत्व की घोषणा तथा डिक्रीत कब्जे का प्रत्यावर्तन के लिए.................1849
स्वयं अपने नाम से भिन्न नाम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 1599
सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध 1586
सहभागीदारों के बीच में....................1599
संस्थित होने का तात्पर्य.....................1895
संयुक्त हिस्सेदारान द्वारा अन्तर्लाभधन वसूली का...............2029
संयुक्त हिन्दू परिवार के बालक द्वारा जन्म पूर्व के अन्तरण को निरस्त कराने हेतु.................................2022
से तात्पर्य 1894
हक की घोषणा एवं स्थायी व्यादेश के लिए..1273
क्षतिपूर्ति हेतु 1581
प्रस्तुत करने का अधिकार 1595
प्रस्तुत करने में विलम्ब 1915
प्रोनोट पर आधारित 1224
प्रतिपाल्य द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर पालक द्वारा किये अन्तरण को निरस्त करने का 2029
जो इस धारा के अन्तर्गत नहीं है.........2038
जमानतदार के विरुद्ध........................1676
विकृतचित्त के व्यक्ति के विरुद्ध............1616

वाद—**क्रमशः**

विभिन्न वाद कारणों पर आधारित......2034
विभाजन के लिए.............................1264
हिन्दू मूर्ति की ओर से.......................2023
जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर 2039
पिता एवं उसके अवयस्क पुत्र के विरुद्ध 1614
धनराशि की वापसी हेतु.................... 1679
नुकसानी का 1634
न्यास सम्पत्ति से किरायेदार की बेदखली के लिए प्रापक द्वारा दाखिल किया गया 1794
न्यासियों के विरुद्ध............................2039
न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध 2036
पर अपील के लम्बित रहने के दौरान समनुदेशन........................ 1495
फाइल करने का अधिकार 1393
बन्धक के लिए 1780
बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने के लिए आवश्यक विक्रय का 1651
बेदखली हेतु 1601
भागीदारी फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध ...1601
में अन्तिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया.......1458
में समझौता 1499
में किए गए अभिकथनों से वाद हेतुक दर्शित नहीं होता वहां आवेदन नामंजूर किया जा सकता...1639
यदि लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता......1455

वाद लाना

भागीदारों का फर्म के नाम से............. 1597

वाद हेतुक

का अभाव 1639

वाद बिन्दु
का निर्धारण....1181
की विरचना....1180
स्वामित्व का....1184
वाद बिन्दुओं
के आधार पर विनिश्चय....1151
वाद मित्र
द्वारा प्रतिनिधित्व....1615
वाद पत्र
को संशोधित करने के लिए प्रतिप्रेषण ..1833
में अभिवचन....1931
के संशोधन की बाबत परिसीमा....1913
सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में....1586
का संशोधन....1912
वाद फाइल
शोध्य रकम एवं उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली के लिए बैंक द्वारा—किया जाना....1683
वाद या आवेदन
करने की कोई अयोग्यता या निर्योग्यता से तात्पर्य....2033
करने की कोई पश्चात्वर्ती अयोग्यता या निर्योग्यता....2033
प्रस्तुत करने के लिए हकदार व्यक्ति....2018
वादकालीन अंतरिती
का जोड़ा जाना....1496
को इन नियमों का लागू न होगा....1351
वादकालीन आदेश
का उल्लंघन....1782
वादकालीन संरक्षक
की नियुक्ति....1602
वादकालीन समनुदेशिती
का पक्षकार बनाया जाना....1496
वादार्थ संरक्षक
की निवृत्ति, हटाया जाना या मृत्यु....1612
वादों
का समेकन....2045
में प्रक्रिया....1676
वाद-बिन्दु
क्षेत्राधिकार के संदर्भ में....1183
वाद-बिन्दुओं
की श्रेणियां....1181
वाद-मित्र
का हटाया जाना....1611
की हैसियत में कार्य कर सकेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगाए....1606
की निवृत्ति....1611
के हटाए जाने, आदि पर कार्यवाहियों का रोका जाना....1611
के बिना वाद संस्थित किया जाए वहां वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा....1604
द्वारा प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए....1604
या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व....1610
या वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता....1610
वादी
का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है....1458
को अपने द्वारा फाइल किए गए आवेदन-याचिका, को प्रत्याहृत (विद्ड्रा) करने का....1532
की गैर हाजिरी का प्रभाव....1846
के एक पक्षीय निवेदन द्वारा वाद का वापस लेना....1553
के खर्चों का भार....1670
से खर्चो के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित की जा सकती है....1557

वापस
दावे का.....1507
वापस लेना
एकपक्षीय आदेश को.....1221
वादी के एक पक्षीय निवेदन द्वारा वाद का.....1553
निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद को 1636
वापस किया जाना
दस्तावेज का.....1162
वापसी
कुछ दशाओं में क्रयधन की.....1348
वायुसैनिक
जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते 1593
वनिर्दिष्ट
हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में.....1206
वर्णन
तात्विक कथनों का.....1240
वर्तमान
अधिनियम में परिवर्तन.....1931
वर्णित अवधि
में अभिवृद्धि.....1991
वेतन
की कुर्की.....1322
विशेष अधिनियम
द्वारा या स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा को इस धारा का लागू होना.....2023
विशेष उपबन्ध
उगती फसलों के सम्बन्ध में.....1341
विरचना करना
विवाद्यकों की.....1285
विरचना
वह सामग्री जिससे विवाद्यकों की.....1171
वाद बिन्दु की.....1180
विवाद्यक की 1817
नये विवाद्यकों की 1817
विरचित किया जाना
सारवान तथ्य एवं विवाद्यक का.....1177
विल
की यथार्थता---को एक पृथक् विवाद्यक के रूप में निर्णीत किया जाना.....1285
विलम्ब
की माफी के लिए आवेदन 1796
एक दिन का 1995
वाद प्रस्तुत करने में.....1915
अपील के प्रत्यावर्तन के लिए याचिका को दाखिल करने में.....1495
का उचित स्पष्टीकरण नहीं.....1994
को दोषमार्जित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार.....1994
की माफी.....1823
के अन्य कारण 1972
से प्रस्तुत अपील.....1821
प्रारम्भिकर डिक्री के विरुद्ध अपील में.....1284
द्वितीय अपील में या पुनर्विलोकन में प्रथम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में 1982
माफ किया गया 1484
विवाद्यक
को विरचित करने में असफल रहना.....1185
की विरचना.....1817
प्रतिकूल कब्जे का 1194
तय होने से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में हुए विलम्ब के लिए माफी.....1165
विवाद्यकों
का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति.....1171
की विरचना करना.....1285
की विरचना.....1170
के सम्बंध में प्रत्याक्षेप.....1816

विवाह-विच्छेद
प्रत्यर्थी द्वारा की गयी स्वीकृतियों के आधारों पर 1154
विवाहिता
निष्पादिका का पति संयोजित नहीं होगा.....1603
विवादित हस्ताक्षरों
के वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए आवेदन-पत्र.....1584
विवाद
के बारे में जांच किया जाना.....1993
जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का---नहीं है.....1195
जब पक्षकारों में---है 1195
जब पक्षकारों में कोई---नहीं है 1195
विवादग्रस्त प्रश्नों
का विचारण.....1321
विवक्षित मंजूरी
की उपधारणा 1527
विवेकाधिकार
का उपयोग अपील में कब बंधनकारी होगा..... 1983
का प्रयोग 1476
के उपयोग का प्रश्न कब उत्पन्न होगा... 1985
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्रियों का.....1307
विवेचना
धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 12 के प्रावधानों की.....1925
वित्तीय निगम
द्वारा दावों का प्रवर्तन.....1696
विषय
जिन तक शपथ-पत्र सीमित होंगे.....1245
विषय वस्तु
बैंक की धनराशि वाद की 1723
आवेदन की.....1626
का मूल्य कहां कथित करना होगा 1671
विषय-बिन्दुओं
का परिभाषित और लेखबद्ध किया जाना 1806
विकृतचित्त
के व्यक्ति के विरुद्ध वाद.....1616
विसंगत
दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना 1155
विसम्मति
का लेखबद्ध किया जाना 1808
विस्तार
प्रतिप्रेषण आदेश का 1995
जांच का.....1995
पुनर्विलोकन का.....2075
विस्तारण
विहित काल का कतिपय दशाओं में 1931
विघटन
भागीदार की मृत्यु पर भागीदारी का.....1791
विचारण
विवादग्रस्त प्रश्नों का 1321
डिक्रीदार के आवेदन पर.....1370
विचारण न्यायालय
के एक बिन्दु पर निर्णय बदला जाना 1179
विशिष्ट
प्रश्न और उत्तर लिखा जा सकेगा 1232
विशिष्ट वाद बिन्दु
की रचना 1181
विशिष्ट उद्देश्य
का न्यास 2037
विशिष्ट प्राविधानों
के अनुपस्थिति में याचिका का
विशिष्ट परिप्रश्नों
का दिया जाना..... 1128
विशिष्ट या स्थानीय विधि
में धारा 3 का लागू होना 1897

विशिष्टियों
का अन्तर्विष्ट होना 1295
विहित काल
का अवसान जब न्यायालय बन्द हो 1921
का कतिपय दशाओं में विस्तारण..... 1931
विधि
उच्च न्यायालय के द्वारा संचालित किए जाने वाली..... 2061
विधि की उपधारणा
न्यायालय के द्वारा प्रत्येक मामले में उठायी जानी चाहिए थी 2
विधि विरुद्ध व्यवसाय
के बचाव करने का अधिकार 1760
विधिक वारिसों
को अभिलेख पर लाया जाना 1475
विधिक प्रतिनिधि
के बारे में अवधारणा 1482
के बारे में प्रश्न का अवधारण..... 1457
न होने की दशा मे प्रक्रिया..... 1456
विधिक प्रतिनिधियों
के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन-पत्र 1493
विधिमान्यता
उन वादों में प्रक्रिया जिनमें किसी कानूनी लिखत की..... 1591
बेदखली डिक्री की..... 1548
विनिश्चय
वाद बिन्दुओं के आधार पर 1151
परिसीमा के प्रश्न का 1187
विनिश्चित किया जाना
मामले को नये सिरे से..... 1274
विनिर्दिष्ट
जंगम सम्पत्ति के लिए डिक्री..... 1305
विनिर्दिष्ट काल
का अवसान होना 1925
विनिर्दिष्ट पालन
के लिए वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में पश्चात्वर्ती क्रेता का जोड़ा जाना..... 1496
के लिए वाद---की पोषणीयता 1127
के लिए वाद---साक्ष्य का बंद होना..... 1226
के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री 1306
विनियम-पत्र
न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति 1675
विभिन्न वाद
कारणों पर आधारित..... 2034
विक्रय
लोक नीलाम द्वारा..... 1342
कृषि उपज का..... 1341
का शून्यकरणीय होना..... 1383
का इसलिए मुल्तवी किया जाना कि निर्णीतऋणी डिक्री की रकम जुटा सके 1343
का समय..... 1338
का स्थगन या रोका जाना 1338
को रोकना 1333
को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवदेन..... 1346
को अपास्त करना..... 1412
के वाद में अन्तिम डिक्री..... 1646
के वाद में बन्धक पर शोध्य बाकी रकम की वसूली..... 1646
के लिए वाद में प्रारम्भिक डिक्री..... 1645
से पूर्व किन्तु विक्रय की उद्घोषणा की तामील के पश्चात् निर्णीत ऋणी की मृत्यु पर विक्रय का अपास्त न किया जाना..... 1302
द्वारा वाद में अंतिम डिक्री के लिए आवेदन 1655

विक्रय ---क्रमश:

किसके द्वारा संचालित किए जायें और कैसे किए जाएं.....1336

निष्पादन कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत सम्पत्ति की कुर्की होनी और उसका---किया जाना.....1437

पूर्विक बन्धक के अधीन सम्पत्ति का 1650

का इस आधार पर अपास्त कराने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें निर्णीतऋणी का कोई विक्रय हित नहीं था.....1347

कब आत्यन्तिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा 1347

विदेशी निर्णय

का निष्पादन 1454

विभाजन

वाद में इच्छापत्र की वैधता 1267

की अन्तिम डिक्री.....1271

के लिए वाद में साक्ष्य का पेश किया जाना.....1241

के लिए अंतिम डिक्री.....1656

का निस्तारण.....1624

वैकल्पिक विवाद

के किसी एक ढंग के लिए विकल्प देने का, न्यायालय का निदेश.....1125

संबंधी संकल्प.....1127

वैज्ञानिक अन्वेषण

के लिए कमीशन.....1563

वैधानिकता

निक्षेप एवं मियाद की.....1389

वैधता

अप्राप्तवय की ओर से संरक्षक द्वारा वाद का समझौता की.....1617

अपील की खारिजी की.....1846

कुर्की आदेश की.....1400

समझौता की.....1885

समझौता डिक्री की.....1529

वैधता ---क्रमश:

स्थगन की मंजूरी 1783

प्रतिस्थापित (वैकल्पिक) तामीली की.....2089

विभाजन वाद में इच्छापत्र की 1267

किराएदारी को समाप्त करने की नोटिस 2089

दस्तावेज को दाखिल करने को अनुज्ञात करने वाले आदेश की.....1165

पक्षकार की गैर हाजिरी---निर्णय सुनाने की 1127

व्यस्त होना

अधिवक्ता का 1971

व्यावृत्ति

कुछ विक्रयों की.....1339

चार्टरित उच्च न्यायालयों के बारे में.....2119

व्यादेश

का आदेश 1752

का अनुतोष 1711

का प्रवर्तन 1492

की अवज्ञा या भंग का परिणाम 1700

की अवज्ञा 1782

की डिक्री की अवज्ञा करना.....1381

की मंजूरी.....1695

के आदेश का भंग होना.....1781

के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा.....1701

के उल्लंघन के लिए दंड 1781

के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा तीस दिन के भीतर निपटाया जाना 1701

से इनकार-प्रभाव 1707

देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकारों को सूचना दे दी जाए 1700

व्यादेश —क्रमशः

बकाया भूराजस्व के देयों की वसूली की कार्यवाही को स्थगति करने के लिए.....1781

भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए.....1698

मकान गिराए जाने के विरुद्ध.....1763

मानहानि के लिए वाद.....1781

व्यादेश आदेश

का उल्लंघन.....1387

का भंग होना.....1781

व्यापारिक ट्रेडमार्ग

पर दीवानी वाद.....1746

व्यापारिक चिन्हों

की तुलना.....1777

व्यक्ति

के बारे में आदेश.....1321

जो वाद में परव्यक्ति हैं उन्हें न्यायालय साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा.....1210

जिनकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा.....1560

व्यतिक्रम

करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा.....1339

का आधार एवं बेदखली वाद.....1174

के कारण वाद का खारिज किया जाना.....1224

के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण करना.....1802

के हानि.....1815

के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण करना.....1815

व्यपदेश

के लिए वाद.....1918

व्यपदेशन

अपील का.....1590

व्यय

समन के लिए आवेदन करने पर, साक्षी के—न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे.....1203

श

शक्ति

अपील न्यायालय की.....1870

उच्च न्यायालय की.....1848

का प्रयोग.....1127

निचले या विचारण न्यायालय कोसमय देने और सुनवाई को स्थगित करने की.....1225

पूर्ण न्याय करने के लिए किसी आदेश को पारित करने की उच्चतम न्यायालय की.....2051

लघुवादों में अधिकारिता संबंधी प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की.....2060

लघुवादों में अधिकारिता संबंधी भूल के अधीन की गई कार्यवाहियों को पुनरीक्षण के लिए निवेदित करने की जिला न्यायालय की.....2060

अतिरिक्त प्रतिभूति या संदाय का आदेश देने की.....2048

अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिए हाजिर कराने का आदेश देने की...1245

अन्तःकालीन लाभ का संदाय करने के लिए बन्धकदार को निदेश देने की न्यायालय की.....1650

अन्तरिम विक्रय का आदेश देने की.....1702

अपील न्यायालय की.....1808

कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति को दिए जाने के लिए आदेश करने की.....1336

कलक्टर के रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षा करने की.....1296

शक्ति ---क्रमश:

कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की 1216

कारागार में निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए निर्णीत ऋणी को अनुज्ञा देने की वैवेकिक 1309

कमीशन पर कथनों को अभिलिखित कराने की 1235

स्वीकृति के अभिलेखन की न्यायालय की.....1147

साक्षी की तुरन्त परीक्षा करने की.....1233

साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की...1215

सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हों, प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की.....1803

रिसीवर की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय की.....1785

विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की.....1171

विधिमान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की न्यायालय की.....1592

विनियम-पत्र, आदि को न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की.....1675

किसी अन्य न्यायाधीश के सामने लिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की.....1233

किसी बात के शपथ-पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की.....1244

डिक्री को अपास्त करने की.....1675

निरीक्षण करने की न्यायालय की.....1234

निष्पादन न्यायालय की 1403

शक्ति ---क्रमश:

निगम के अधिकारी की स्वीय हाजिरी अपेक्षित करने की 1595

निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की.....1799

निर्देश करने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की.....2059

निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की.....1632

नियम 2 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की 1215

न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की.....1671

न्यायालय के रोक आदेश की 1377

न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की.....1206

न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की.....1251

मृत पक्षकारों की दशा में सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति देने की..... 2047

शक्तियां

अपील लंबित रहने तक न्यायालय की..... 2048

कमिश्नरों की 1565

शुरु करने

का अधिकार.....1802

शुफा

के वाद में डिक्री 1275

शून्यीकरण

डिक्री का.....1676

विक्रय का.....1383

शपथकर्ता
की उपस्थिति 1249
की प्रतिपरीक्षा 1248
शपथपत्र
का सत्यापन उचित नहीं 1248
का फाइल किया जाना 1129
हस्ताक्षर के बारे में 1148
द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति.....1244
दस्तावेजों सम्बन्धी.....1130
शपथपत्रों
में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण.....1130
शब्द और अर्थ
शपथपत्र.....1239
व्यादेश 1887
अन्तःकालीन लाभ.....1260
अपीली आदेश 1886
अपीलें.....1322
अपूरणीय क्षति.....1765
कुटुम्ब 1619
कर्तव्य 1784
साक्ष्य.....1249
समझौता 1423
हक वाद.....1783
विधिक प्रतिनिधि.....1419
विधिपूर्ण कब्जा.....1765
विदेशी डिक्री.....1888
निरीक्षण रिपोर्ट.....1782
नोटिस 1409
पीड़ित पक्षकार 1886
पूर्वाधिकार.....1411
पर्याप्त साधन.....1642
मध्यवर्ती लाभ.....1249
मध्यवर्ती व्यादेश 1766
यथापूर्व स्थिति 1886

स

सरकार
की ओर से उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना.....1586
के सेवक के वेतन या भत्तों की कुर्की....1322
के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.....1586
के विरुद्ध वाद से संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने योग्य व्यक्ति की हाजिरी 1587
से कोई प्रतिभूति अपेक्षित न की जाए .1798
द्वारा अपील.....1872
द्वारा प्रतिभूति देना---के लिए आवश्यकता.....1590
द्वारा या उसके विरुद्ध वाद.....1586
या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का कर्त्तव्य 1587
सरकार और सरकारी लीडर
की परिभाषाएं.....1588
सह रिसीवर
की नियुक्ति.....1790
सह-अंशधारी
की बोली को अधिमान प्राप्त होगा.....1345
सहायता
कल्याण विशेषज्ञ से 1619
सहभागीदारों
के बीच में वाद 1599
सहमति डिक्री
को चुनौती 1552
संशोधन
वाद पत्रों का 1912
की शक्ति.....1241
की अनुमति न दिया जाना.....1821
कथन का.....1127

संरक्षक
की नियुक्ति 1615
होने का प्रभाव 2024
संरक्षा
अवयस्क के हितों की 1620
संरक्षण
सम्पत्ति का 1783
संवैधानिकता
डिक्री धन का 25 पैसे शेष रखना 1174
संस्थित
निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद---किए जा सकेंगे 1626
संस्थित किया जाना
वाद का प्रत्याहरण एवं नए वाद का 1913
अप्राप्तवय द्वारा या उसके विरुद्ध वाद का 1616
संस्थित नहीं
अभिकर्ता और अभिधारी अन्तराभिवाची वाद 1670
संकल्प
वैकल्पिक विवाद संबंधी.....1127
संविदा
शर्त एवं दीवानी वाद 1746
या प्रचलन विधान से ऊपर नहीं है 1907
संविदात्मक दर
की कमी 1659
संक्षिप्त वाद
एकपक्षीय डिक्री का अपास्त किया जाना.....1668
संक्षिप्त वादों
का संस्थित किया जाना 1673
संदत्त किया जाना
न्यायालय में व्यय का.....1215
संदाय
ऋण का.....1679
डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर.....1291
धनराशि का.....1402
संदाय ---क्रमश:
ब्याज का.....1650
में व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया 1344
संपत्ति
पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी 1690
संयोजन
न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों का.....1603
पक्षकारों का 1833
संयोजित
लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रूप में 1587
संयोजित नहीं
विवाहिता निष्पादिका का पति.....1603
संयुक्त
एवं अभिभाज्य डिक्री.....1487
संयुक्त अधिकारी
द्वारा अन्य की सहमति के बगैर उन्मोचन..... 2027
संयुक्त अपील
की निर्वाह योग्यता.....1834
संयुक्त हिस्सेदारान
द्वारा अन्तर्लाभधन वसूली का वाद 2029
संयुक्त हिन्दू परिवार
की सम्पत्ति के अन्तरण को समाप्त करने का वाद व कर्ता का उन्मोचन प्रदत्त करने का अधिकार.....2029
के बालक द्वारा जन्म पूर्व के अन्तरण को निरस्त कराने हेतु वाद..... 2022
सारवान तथ्य
का विरचित किया जाना..... 1177
साक्ष्यिक मूल्य
लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट का..... 1583

साक्षी
को व्ययों का निविदान.....1205
की प्रतिपरीक्षा 1225
की तुरन्त परीक्षा करने की शक्ति 1233
की परीक्षा हेतु कमीशन.....1570
के रूप में उपस्थिति 1221
जहां समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया.....1208
जहां न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है 1559
जो भारत के भीतर नहीं है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोधपत्र.....1561
किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी न हो वह स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा.....1211
यदि उपसंजात होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया.....1209

साक्ष्य
अंग्रेजी में कब लिखा जा सकेगा.....1232
का अभिलिखित किया जाना आवश्यक नहीं 1126
का खण्डन करने का अधिकार.....1236
को अभिलिखित करना 1242
की अनिवार्यता.....1187
की समाप्ति.....1240
हेतु आदेश.....1847
प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 1238
जहां कई विवाद्यक हैं वहां.....1229
जब न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब ज्ञापन.....1232
जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें.....1231
देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति.....1215
धारा 138 के अधीन.....1232
पेश करने में असफलता 1195

साक्ष्य ---क्रमश:
पेश करने में किसी भी पक्षकार की असफलता का प्रभाव.....1224
में अग्राह्य होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन 1156
में आयुक्त की रिपोर्ट की ग्राह्यता 1766
में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन.....1155

साक्ष्य देना
प्रारम्भ करने का अधिकार 1242

सांकेतिक भाषा
में लिखा गया आदेश की पोषणीयता....1995

साक्षियों
को समन करना.....1214
की सूची और साक्षियों को समन 1202
की भावभंगी के बारे में टिपणियां 1233
के अभिसाक्ष्य के साथ कमीशन का लौटाया जाना.....1561
विषयक नियम समनित पक्षकारों को लागू होंगे 1212

साबित
करने का भार.....2109

साबित होना चाहिए
प्रथम दृष्टया मामला 1715

सादे कागज
पर एक व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर---क्या उसने दस्तावेज को निष्पादित किया है 2112
पर हस्ताक्षर---सबूत का भार.....2113

सामग्री
जिससे विवाद्यकों की विरचना की जा सकेगी.....1171

सामान्य सिद्धान्त
जहां पर्याप्त कारण दर्शित किया गया वहां विशेषाधिकार के प्रयोग का....1946

साम्पत्तिक विक्रय
के नाम से एन0 एस0 सी0 की का जारी किया जाना.....1602

सिद्धांत
को उपस्थित करना 1419
प्राङ्न्याय का.....1186,1383
प्रत्यासन का.....1733,1774
निर्वचन का.....1573
प्राकृतिक का 2075
धारा का 1922
परिसीमा के अभिवचन पर विवर्जन (स्टॉयल) का 1907
सिद्धि
का भार 1983
का भार एवं निर्योग्यता.....2023
सुलह
के प्रयास के असफलता के परिणामस्वरूप न्यायालय के समक्ष उप- संजाति.....1125
सुलह फोरम
के समक्ष उपसंजाति 1125
सुखाधिकार
पर दीवानी वाद 1750
सुनवाई
आवेदन की.....1352
को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हों, प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्तिए.....1803
के पश्चात् मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना 1457
मामले की 1672
में प्रक्रिया.....1628
में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसने पृथक् अपील की हो 1803
सूचना
व्यादेश देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकारों को.....1700
सूचना---क्रमशः
आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की.....1628
कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की.....1300
का प्ररूप.....1147
की तामील 1146
के आज्ञानुवर्तन में या गिरफ्तारी के पश्चात् निर्णीतऋणी के उप-संजात होने पर कार्यवाहियां 1311
के निकाले जाने के पश्चात् प्रक्रिया 1302
गारनिशी को.....1320
निक्षेप की.....1555
तथ्यों को स्वीकृत करने की.....1147
दस्तावेजों को पेश करने के लिए..... 1148
दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए.....1146
पक्षकार की मृत्यु की 1486
पेश करने की 1130
महान्यायवादी या महाधिवक्ता को 1591
मामले की स्वीकृति की 1146
सूचना की तामील
किस हैसियत में की जाएगी 1598
सबूत
का भार 1241
सैनिक
जो छुट्टी अभिप्राप्त नहीं कर सकते अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए 1593
समवर्ती अनुतोषों
के सम्बन्ध में परिसीमा.....1915
समझौता
वाद में.....1499
की वैधता.....1885
पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है 1239
समझौता डिक्री
का अपास्त किया जाना 1553
पुर्नविलोकन के लिए आवेदन-पत्र 1553

समझौते
द्वारा वाद का निस्तारण 1522
के विरुद्ध उपचार 1525
समाप्ति
साक्ष्य की.....1240
समायोजन
डिक्री का 1380
निक्षिप्त राशि के आधार पर.....1401
समन
की तामील के लिए समय.....1208
की तामील कैसे होगी.....1207
के लिए आवेदन करने पर, साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे 1203
साक्षियों की सूची और साक्षियों को.....1202
निर्णय के लिए.....1688
तामील के लिए पक्षकार को—का दिया जाना.....1207
दस्तावेज पेश करने के लिए.....1206
समन करना
साक्षियों को 1214
समन कर सकेगा
जो व्यक्ति वाद में परव्यक्ति हैं उन्हें न्यायालय साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से 1210
समनुदेशन
वाद पर अपील के लम्बित रहने के दौरान 1495
समनुदेशित मूल्यवान
प्रतिफल के लिए.....2037
समेकन
वादों का..... 2045
समय
का इसलिए बढ़ाया जाना कि लोक अधिकारी सरकार से निर्देश करके पूछ सके.....1587
का निरंतर चलते रहना.....2033
समय —क्रमशः
समन की तामील के लिए 1208
जब सूचना दी गई है तब निरीक्षण के लिए.....1130
विक्रय का.....1338
क्रयधन के पूरे संदाय के लिए 1344
न्यायालय द्वारा कमीशन के लौटाए जाने के लिए.....1567
जिसके भीतर नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए....1800
सम्पत्ति
का संरक्षण 1783
की कुर्की.....1791
की नीलामी 1417
के विभाजन के लिए या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद में डिक्री.....1288
पट्टे की.....1791
सम्पत्ति विभाजन
हिन्दू परिवार का.....1751
सत्यापन
अभिवचन का 1596
अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसका.....1595
त्रुटिपूर्ण होने से याचिका नांमजूर नहीं की जी सकती है.....1636
स्वत्व
की घोषणा तथा डिक्रीत कब्जे का प्रत्यावर्तन के लिए वाद.....1849
स्वप्रेरणा
से उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया नियम एवं अभिवृद्धि का नियम 2053
स्वामित्व
का वाद बिन्दु..... 1184
स्वविवेकाधिकार
सम्बंधी उपचार.....1760

स्वीकृत
पर आधारित निर्णय 1151
स्वीकृति
के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति ..1147
स्थगन की 1267
पर याचिका का निपटान 1154
स्वीकृतियों
का प्ररूप 1148
के आधार पर निर्णय.....1148
विवाह-विच्छेद---प्रत्यर्थी द्वारा की गयी 1154
स्थगन
वाद का.....1846
की स्वीकृति.....1267
प्रार्थना के अभाव में अपील.....1845
डिक्री के निष्पादन का.....1831
बेदखली की डिक्री के निष्पादन का 1847
स्थावर संपत्ति
का विभाजन करने के लिए कमीशन 1564
के विक्रय या पट्टे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री 1254
अभिधारी के अधिभोग में है तब ऐसी सम्पत्ति के परिदान के लिए डिक्री.....1309
की कुर्की.....1295
के प्रत्युद्धरण के लिए डिक्री 1253
के लिए डिक्री.....1309
पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा ..1350
स्थानीय अन्वेषण
के लिए कमीशन 1584
करने के लिए कमीशन.....1562
स्थानीय विधि
की कार्यवाहियों को लागू होना 1924
स्थायी व्यादेश
के लिए डिक्री का उल्लंघन 1381
स्थायी अन्वेषण रिपोर्ट
का मूल्य.....1585
स्त्री
पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन न होना.....1457

ह

हक
शुफा सम्बन्धी वाद.....1273
की घोषणा एवं स्थायी व्यादेश के लिए वाद.....1273
हक विलेखों
के निक्षेप द्वारा बंधक और भार.....1651
हकदार
परिसीमा अवधि के प्रारम्भ के समय कार्यवाही करने के लिए..... 2020
हकदार व्यक्ति
वाद या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए..2018
हकदार न होना
बन्धक के मोचन का.....1668
हस्तलेख विशेषज्ञ
की राय---का महत्व.....1582
हस्तक्षेप
अस्थायी व्यादेश में.....1740
कब्जे की डिक्री में 1272
हस्ताक्षर
के बारे में शपथपत्र.....1148
निक्षेप के ऊपर 1239
हटाया जाना
प्रतिभूति दे दी जाने पर या वाद खारिज कर दिए जाने पर कुर्की का.....1691
वाद-मित्र का.....1611
हाजिर
जब तक कि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी न हो वह स्वयं---होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा 1211

हाजिरी

के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में विनिर्दिष्ट किया जाना.....1206

सरकार के विरुद्ध वाद से संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने योग्य व्यक्ति की.....1587

हानि

व्यतिक्रम के.....1815

हिस्सा

भागीदारों का.....1267

हिन्दू परिवार

का सम्पत्ति विभाजन.....1751

हिन्दू मूर्ति

की ओर से वाद 2023

हेतुक

जहां दर्शित नहीं किया जाता या प्रतिभूति नहीं दी जाती वहां कुर्की 1691

क्ष

क्षतिपूर्ति

के प्रत्युद्धरण हेतु कार्यवाही 1487

हेतु वाद.....1581

क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय का.....2071

के संदर्भ में वाद-बिन्दु.....1183

न्यायालय का.....1198

न्यायालय का.....1262

क्षमा

अपर्याप्तवय की अक्षमता और विलम्ब..1964

त्र

त्रुटि

न्यायालय या न्यायालय के अधिकारी की..... 1967

पक्षकार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा तथ्य सम्बन्धी.....1950

ज्ञ

ज्ञापन

अपील हेतु 1845

का नामंजूर किया जाना या संशोधन ... 1796

जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब.....1232

जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती है उन मामलों में साक्ष्य का.....1233

बनाने में असमर्थ न्यायाधीश अपनी असमर्थता के कारण अभिलिखित करेगा.....1233

श्र

श्रेणियां

वाद-बिन्दुओं की 1181

श्रेणी

डिक्री की.....1401